खण्ड-318, अंक-3
बुधवार, 8 श्रावण, शक संवत् 1897
(30 जुलाई, 1975 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 318 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ३० जुलाई, १९७५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासु देव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३१५

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबूल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर,' श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेडू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया सिंह, श्री
गिरजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री

गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी,श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्म पाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौवरी
पुरुषोत्तम लाल बघवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री

बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनी राम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिस्त्रयार खां, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद, खां
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफी उल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राज बहादुर, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री

रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लाल राही, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति देवी यादव, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री

सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

उत्तर प्रदेश इन्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक; १९७४

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६१ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश इन्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७४ (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ २४३–२४७ पर)

उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, १९७५

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६१ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश सड़क पार्श्व भूमि नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, १९७५ (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिय नत्थी "ख" आगे पृष्ठ २४८–२४९ पर)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७५

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६१ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७५ (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ २५०–२५१ पर)

सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

१—पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर के तार दिनांक २८ जुलाई, १९७५ के अनुसार श्री सत्यवीर सिंह (बुलन्दशहर) को दिनांक २८ जुलाई, १९७५ को भारतीय दन्ड संहिता की धारा १८८ तथा ४३ डी० आई० आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है और जिला जेल, बुलन्दशहर में रखा गया है।

२—सिटी मजिस्ट्रेट, जिला इटावा के पत्र दिनांक २९ जुलाई, १९७५ के अनुसार श्री भारत सिंह चौहान (इटावा) को दिनांक २९ जुलाई, १९७५ को डी० आई० आर० की धारा ३६/४३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और जिला जेल, इटावा में रखा गया है।

३—जिला अधिकारी, अलीगढ़ के पत्र दिनांक २९ जुलाई, १९७५ के अनुसार श्री बाबू सिंह (अलीगढ़) को दिनांक २८ जुलाई, १९७५ को मीसा, १९७१ की धारा ३(१)(ए)(२) के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और जिला जेल, अलीगढ़ में रखा गया है।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष —

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी ३० जुलाई, १९७५ की बैठक में यह संस्तुति की है कि सदन की ३१ जुलाई, १९७५ की बैठक में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण हो :—

(१) उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७४ (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)।

(२) उत्तर प्रदेश सड़क-पार्श्व-भूमि नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, १९७५ (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)।

(३) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७५ (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)।

(४) उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९७५

(५) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७५।

श्रम मन्त्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्य-क्रम, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष ने दी है, से सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्य-क्रम, जिसकी सूचना आज मैंने दी है, से सहमति प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विरोधी पक्ष के कुछ दलों द्वारा शेष सत्र के लिये सदन त्याग करने की घोषणा

श्री रामवचन (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन त्याग करने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य पढ़ना चाहता हूं। बैठ कर पढ़ने की इजाजत दे दें।

(व्यवधान)

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

सदन त्याग करना चाहते हैं?

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

उनकी तबियत ठीक नहीं है। तो पढ़ कर जो कुछ कहना है, कह देंगे।

श्री अध्यक्ष—

वह सदन छोड़ना चाहते हैं। उसके पूर्व अपना वक्तव्य देना चाहते हैं। उनकी बात सुन लें, तो आपत्ति क्या होगी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

हमें कोई आपत्ति नहीं है।

*श्री रामबचन—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनतन्त्र ही इस देश की एकता, स्वतन्त्रता और जन कल्याण की आधार शिला है। जिस तरह अकारण ही सत्तारूढ़ दल द्वारा आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गयी, विरोध पक्ष के सभी प्रमुख नेताओं, अनेकों संसद सदस्यों और विधायकों, तथा हजारों हजार प्रमुख कार्यकर्त्ताओं को जेल में बन्द किया गया, जिस तरह से प्रेस की स्वतन्त्रता का अपहरण किया गया और जिस तरह न्यायालय के दरवाजे भी बन्द कर दिये गये, ये सारे कृत्य इस जनतन्त्र पर गहरे कुठाराघात हैं। इन सब आघातों के बावजूद इस सदन की मर्यादा और गरिमा की रक्षा के लिये हम विरोध पक्ष के सदस्यों, भारतीय लोक दल, जनसंघ तथा संगठन कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी ने इस बात का निश्चय किया था कि सदन में उपस्थित होकर उसकी कार्यवाहियों में भाग ल तथा इस सदन के माध्यम से जनता के समक्ष अपने विचारों को रक्खें किन्तु दुख का विषय है कि यहां भी हमारे अधिकारों का अपहरण किया गया। प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा अन्य अधिकारों जिनके द्वारा इस सदन से सदस्य जन सेवा करते थे, रोक दिया गया और हमारे भाषणों को भी प्रेस में नहीं छपने दिया गया।

हमने संविधान की सुरक्षा की शपथ खायी है और आज संविधान के नाम पर संविधान की धाराओं की ही आड़ लेकर संविधान की आत्मा को कुचला जा रहा है।

एसी दशा में हम विरोध पक्ष के उक्त दलों के सदस्यों को मजबूर होकर यह निर्णय लेना पड़ रहा है कि सदन और संविधान की गरिमा की रक्षा के लिये हमारा यह पुनीत कर्त्तव्य हो गया है कि हम इस सत्र की शेष अवधि में सदन की कार्यवाहियों में भाग न लें।

अत: हमने निश्चय किया है कि इसके विरोध स्वरूप वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिय हम सदन-त्याग (वाक आउट) करते हैं।

(इसके उपरान्त भारतीय लोक दल, जन संघ और संगठन कांग्रेस के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, इन्होंने संविधान की बात कही है इसलिये ....

श्री अध्यक्ष—

आपके नेता को मौका है, वह कहेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

मान्यवर, यह हमेशा के लिये जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इस सत्र के लिये । मैं इन सवालों का जवाब नहीं देता। माननीय नेता सदन, आपको कुछ कहना है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

अध्यक्ष जी, मैं पांचवें नम्बर पर हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपको कुछ कहना नहीं है।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९७५

श्रम मन्त्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९७५ को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९७५ को पुर:स्थापित किये जाने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९७५ को पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ २५२–२५३ पर)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७५

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७५ को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७५ को पुर:-स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७५ को पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ २५४–२६९ पर)

१९७५-७६ के लिये विधान सभा की कतिपय समितियों के कार्य-काल में वृद्धि का संकल्प

श्रम मन्त्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:--

"यह सदन निश्चय करता है कि इस सदन की वर्ष १९७४-७५ के लिये निर्वाचित लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम और निगम समिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विमुक्त जाति सम्बन्धी संयुक्त समिति तथा सत्ताइस स्थायी समितियों के लिये विधान सभा द्वारा निर्वाचित वर्तमान सदस्य उक्त समितियों में वर्ष १९७५-७६ के लिये भी निर्वाचित समझे जायं।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि इस सदन की वर्ष १९७४-७५ के लिये निर्वाचित लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम और निगम समिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विमुक्त जाति सम्बन्धी संयुक्त समिति तथा सत्ताइस स्थायी समितियों के लिये विधान सभा द्वारा निर्वाचित वर्तमान सदस्य उक्त समितियों में वर्ष १९७५-७६ के लिये भी निर्वाचित समझें जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक, १९७५†

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों) तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, भारत के सभी राज्यों में जिसकी कार्य-पालिका ने आज इस विधान सभा के समक्ष यह प्रस्ताव उपस्थित किया है कि सभी मन्त्रियों, विधान सभा के सदस्यों, विधान परिषद् के सदस्यों और इसी प्रकार अन्य जो लोग हैं, इस हाउस से या उस हाउस से सम्बन्धित, चुनाव प्रक्रिया से आते हैं, उनकी जो हैसियत है, सम्पत्ति है, उसका ब्योरा चुनाव के ३ महीने के अन्दर या इस कानून के बनने के ३ महीने के अन्दर, सब एलान कर दें। इसका एक मूल कारण यह था और है कि अनायास इस देश के अन्दर प्रजातन्त्र के शत्रुओं ने एक अस्त्र भ्रष्टाचार का राजनीतिक जीवन में जो प्रमुख लोग थे उन्हीं पर नहीं बल्कि राजनीतिक दल और विशेषकर उन लोगों पर जो सत्तारूढ़ दल से सम्बन्धित थे और हैं, उन पर बराबर यह प्रहार किया कि उन्होंने अपनी सम्पत्ति एम० एल० ए० बनने के बाद, एम० एल० सी० बनने के बाद, मन्त्री बनने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा ली है और तरह-तरह से भ्रष्टाचार के लांछन इस सदन में बराबर और संसद में भी और कई जगहों पर पिछले कुछ वर्षों से लगाने की कार्य पद्धति सी बन गई थी। जो राजनीतिक जीवन में है, उनके लिये चरित्र से बढ़ कर और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती है। अत: यदि उनकी चरित्र हत्या कर दी जाय तो वह उनकी मृत्यु से भी अधिक दुखदायी परिस्थिति बन जाती है। मृत्यु आती है तो सारे आदमी का विलय हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है, उसका पार्थिव रिश्ता संसार से छूट जाता है लेकिन अगर चरित्र-हत्या होती है तो पार्थिव शरीर को उसका शिकार बनना पड़ता है। इस सदन में कहा जाता है कि हमने बड़ी जायदाद बना ली। अब उसका कोई इलाज भी नहीं है।

---

†२९ जुलाई, १९७५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

हर बार अगर कहें कि चलो जांच करो तो मेरे ख्याल से कोई दिन बचेगा नहीं जिस दिन जांच करने के लिये कोई न कोई जज बैठेगा नहीं और वह एक असम्भव प्रक्रिया हो जायगी ; मैं कहना नहीं चाहता था, अगर विरोधी पक्ष बैठा होता तो मैं कह सकता था, और कई माननीय सदस्यों के नाम लेता कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले ऐसे ऐसे माननीय सदस्य हैं जिनका राजनैतिक जीवन मेरे राजनैतिक जीवन से बहुत कम है, जिनका कि असेम्बली और विधान सभाओं का जीवन मेरे जीवन का १/१० से भी कम है और मेरे नहीं, उनके पास ३-३ मकान हैं और मेरे पास, मेरे दादा ने जो मकान बनाया था जिसको सन् १९३२-३४ में मेरे पिताजी ने परिवर्तन किया उसके सिवाय मेरा संसार में एक इंच का भी मकान नहीं है । लेकिन लांछन लगता रहा कि मकान है और लांछन लगाने वालों के पास कई मकान हैं पर इसका हिसाब-किताब बतलाने की जरूरत नहीं है। इसलिये हमने सोचा कि सबका खाका जनता के सामने आ जाय और सब समझ जायें कि किस नेता ने न सिर्फ मकान बनाया है बल्कि अपना मकान बनाकर बिजली बोर्ड को किराये पर दिया है। तो हम चाहते थे कि सबकी कलई जनता के सामने खुल जाय और स्पष्टीकरण जनता के सामने आ जाय कि किसके पास कितनी खेती और मकान है, कितनी कमाई है और कौन-कौन रईस हो गया है, एम० एल० ए० होने के बाद। किसने अपने बीबी-बच्चों के लिये हर प्रकार की दौलत इकट्ठी कर रखी है, और जब मैं बीबी-बच्चों की बात करता हूं तो सबको शामिल करके कह रहा हूं। लेकिन दिक्कत यह है कि किसी एक आदमी के मुंह से कोई एक बात निकल जाय तो उसका एक मात्र उत्तर यह हो जाता है कि यह सारी सूचना सार्वजनिक कर दी जाय और फिर उसके बाद सब लोगों तक वह सूचना सुनने पढ़ने का कोई मार्ग निकल जाय। मैं यह नहीं कहता कि एक ही मार्ग हो जो हमने बताया है। इस सदन में लोग कोई और मार्ग बतावें। हमने यह नहीं रखा कि मुख्य मन्त्री के पास आवे वह खबर। हमने प्रस्ताव किया है कि वह सूचना सचिव, विधान सभा के पास विधान सभा के सदस्यों और मन्त्रियों के मामले में पहुंचे और विधान परिषद् के मामले में विधान परिषद् के सचिव के हाथ में वह सूचना चली जाय और वह उसको रखेंगे। पहले सोचा था कि उसको सार्वजनिक रूप देने के लिये उसका गजट कर दिया जाय, लेकिन अनेक विधायक मिले और उन्होंने कहा कि कुछ संभावना हो सकती है कि टाइप में गलती हो जाय, १० हजार के आगे एक शून्य और बढ़ जाय तो १ लाख हो जाय और जब उसकी दुरुस्ती की जाय तो कहा जाय कि इसको बचाने के लिये दुरुस्ती की जा रही है। क्योंकि जो लिख कर देगा तो हर एक अपने हाथ से लिख कर देगा।

उसी तरह से हमने यह व्यवस्था नहीं की कि यह दिखाया जाय कि भूमि का मूल्य क्या है। पर कितनी भूमि है और खाते-खतौनी में, जिस प्रकार से रेवेन्यू रेकार्ड्स में मौजूद है, उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के बाहर देश में कहीं भी किसी भी प्रकार की सम्पत्ति उसका ब्योरा देना पड़ेगा। इससे, मैं समझता हूं, चरित्र-हत्या का अस्त्र स्वयं फेल हो जायेगा। या जो सचमुच इकट्ठा कर रहे होंगे तो हर चुनाव के बाद चूंकि फिर देना पड़ेगा तो उसके माने होंगे कि ५ वर्ष विधायक या मन्त्री रहने के बाद जब आदमी बाहर जायगा और दोबारा फिर चुनाव के बाद भीतर आयेगा तो फिर सारा विवरण हर प्रकार का, चुनाव के पहले का और बाद का--तमाम फर्क मालूम हो जायगा कि तब क्या था और अब क्या है और अनायास, जनता में जो भ्रांति है, जो फैलायी गयी है जानबूझ कर और जानबूझ कर इसलिये कह रहा हूं कि हिटलर ने भी यही अस्त्र इस्तेमाल किये थे जरमनी में एक-तन्त्र लाने के पहले, वह भ्रांति दूर हो जायगी। चरित्र-हत्या का अस्त्र उसने इस्तेमाल किया था। जाति और धर्म का झगड़ा उसने उठाया था। मीटिंग्स और सभाओं को खंड-खंड करने का और उनको ध्वस्त करने का रास्ता उसने पकड़ा था। स्टार्म ट्रपर्स को उसने इस्तेमाल किया था। जैसे हमारे यहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है उसी तरह का उसने भी बनाया था और स्वच्छ प्रशासन के नाम पर, भविष्य के नाम पर सारे जर्मनी को उसने गुमराह किया था।

हमारे यहां छुगानी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक डाक्युमेंट है जो केन्द्रीय सरकार ने छाप दिया है। उसमें आप देखिये, जिन लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप जुडिशियल पद्धति से इस्टेब्लिश हो गया है वह सरकार मानेगी। कांग्रेस ही एकमात्र संस्था है इस देश के अन्दर जिसने अपने मन्त्रियों और मुख्य मन्त्रियों के भी विरुद्ध जब कभी भ्रष्टाचार का आरोप अगर प्राइमाफेसी बना तो उसने उसकी जांच चीफ जस्टिस आफ इंडिया से ले कर अनेकों जजों से करवायी और कभी भी उसको छिपाने की, दबाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो शेष दल जिनके हाथों में राज शक्ति आयी है संविद शासन काल में या कहीं-कहीं जनसंघ और दूसरे लोगों ने मिल कर सरकार बनायी है तो कितनी बार माननीय चौधरी साहब ने कहा एक सज्जन को जब वह उनका दल छोड़ कर गया कि मैंने तो उसको निकाला, इसलिये कि वह भ्रष्टाचारी था। पुरानी बात है सन् १९७० की। वह मुख्य मन्त्री थे, क्यों नहीं जांच बिठायी ? फौरन जांच से साबित कराते कि वह भ्रष्टाचारी था या नहीं। लेकिन हमारे प्रदेश में बदकिस्मती से व्यक्ति विशेष, मैं नाम नहीं लेता, उपस्थित होते तो नाम भी लेता और चार्ज भी करता कि वही उसके जनक रहे हैं। चरित्र-हत्या के अस्त्र निर्माताओं ने देश के राजनीतिक जीवन में जो अवरोध और कठिनाइयां पैदा की हैं इतिहास उसका साक्षी रहेगा।

हम और हमारा दल यह साफ कर देना चाहते हैं कि हमारे पास छिपाने के लिये कुछ नहीं है। मैं आशा करता हूं कि इससे वातावरण शुद्ध होगा। इससे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भय और डर नहीं रहेगा कि कोई उस पर गलत तरीके से लांछन लगा देगा। किसी सरकारी कर्मचारी को निकाल दिया भ्रष्टाचार के आरोप में। उस निकाले हुये कर्मचारी ने दारुलशफा में ऐसा अड्डा बना लिया कि वह एक डंडा ले कर चलता था और कपड़े भी रोज अच्छे होते जाते थे। वह रोज एक पर्चा निकालता था और कहता था कि इतने पैसे दो नहीं तो तुम्हारे बारे में निकाल दूंगा। राजनीतिक जीवन में झूठ और फरेब की ऐसी चाल-जैसी कि कभी कोई सोच नहीं सकता था। यही नहीं, सारी दुनियां के लोगों में यह बात फैलाने में कि भारतवर्ष का प्रजातन्त्र सब से अशुद्ध प्रजातन्त्र है, भारतीय लोक दल, जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी, यह तीन इसके मुखिया रहे हैं। इन्होंने हर अस्त्र को इस्तेमाल किया। डिसमिस्ड गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर कभी आप और इतिहास देखेगा तो यह भी देखेगा कि किस दल ने राजनीतिक जीवन को खराब किया। सरकारी नौकरी से भ्रष्टाचार के लिये निकाले गये लोगों को, इतिहास साक्षी होगा कि किन लोगों ने ऐसे लोगों को खड़ा किया चुनाव में और बड़ी-बड़ी जगहों पर बिठाला जिन्हें सजा हो चुकी थी। हमें धमकी दी जाती थी कि हाउस नहीं चलने देंगे। हमारी बेबसी यह थी कि हम प्रजातन्त्र चलाना चाहते थे इसलिये बर्दाश्त करते जाते थे। इसका मतलब वे यह निकालते थे कि सम्भवत : कुछ दाल में काला है, खास कर जनता में यही असर होता था।

मान्यवर, कुछ लोग दक्षिणी अफ्रीका गये थे, जब वे लौट कर आये तो मुझसे मिले। मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वे बता रहे थे कि दक्षिणी अफ्रीका में अनेकों देश ऐसे हैं कि जहां पर किसी अधिकारी वगैरह से मिलने के लिये, केवल मुलाकात करने के लिये अधिकारियों को पैसा देना पड़ता था। यह पैसा चपरासी ही को नहीं, वरन् साधारण अधिकारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी को देना पड़ता था और वे सभी भ्रष्टाचार में सराबोर हैं। वे लोग इन्दिरा जी के बड़े विरोधी रहे हैं, मगर जब वहां वे यह सब देख कर आये तो कहने लगे कि हमने जो कुछ यहां के बारे में पहले कहा उसमें हमसे बड़ी भूल हो गयी। यह इमरजेन्सी से पहले की बात है, आज तो बहुत से लोग यह कहने लग गये हैं कि हमसे भूल हो गयी (हंसी)। आज बहुत लोगों को अपनी भूल नजर आने लगी है। मगर, मान्यवर, जो लोग हमारे पेट के अन्दर रहकर हमारे चाकू मारने की सोच रहे हैं उनसे आज हमें सतर्क रहना है। कुछ लोग इस देश की आभा को, इस देश

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

के आत्म-विश्वास को, इस देश की प्रतिभा को, इस देश के प्रजातन्त्र को कमजोर करने में लगे हुये हैं, हमें उनसे सतर्क रहना है।

हम यह नहीं चाहते कि हम पर गलत कोई आंच आवे, इसीलिये हम इस विधेयक को लाये हैं कि हर एक अपनी-अपनी सम्पत्ति का ब्योरा दे। जो भी माननीय सदस्य आज यहां पर बैठे हुये हैं उनकी तरफ से मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, अपने दल और दूसरे दलों की तरफ से भी कहना चाहता हूं, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हों, चाहे माननीय रामपाल जी के दल के सदस्य हों, चाहे हमारे दल के सदस्य हों, सभी का प्रजातन्त्र में बुनियादी विश्वास है। मैं यह भी मान्यवर, कहना चाहता हूं कि जो लोग आज उठ कर चले गये हैं और जो प्रजातन्त्र के नाम पर यहां आये हैं, अगर उनका उसमें विश्वास होता तो इस जनतांत्रिक विधेयक पर अवश्य वे अपने कुछ सुझाव देते, इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेते, हमको यह बताते कि इसमें और क्या करना चाहिये था। लेकिन उनके पास कहने के लिये तो कुछ है नहीं, कहना तो सिर्फ यही चाहते हैं कि गला घुट गया, इनके तो गले में ही सब कुछ है, न गले के नीचे कुछ है और न गले के बाहर कुछ है। विश्वास का हाजमा उनके पास रह नहीं गया है, बुद्धि का प्रकाश भी उनका नष्ट हो गया है, अंधेरे में एक भटकन सी महसूस कर रहे हैं और इसी कारण उन्हें गला घुटता दिखायी पड़ रहा है। आज, मान्यवर, वह समय आ गया है जब कि हमें अपने देश के राजनैतिक और सामाजिक जीवन की स्वच्छता कायम रखने के लिये भरपूर चेष्टा करनी है और इसे रखते हुये देश में प्रजातन्त्र को कायम रखना है और देश को ऊपर उठाने में हम सब को योगदान देना है। इसी विश्वास के साथ मैंने इस सदन की स्वीकृति के लिये यह विधेयक पेश किया है।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा किया जाय कि जो लोग विधेयक पर बोलना चाहते हैं वे बोल लें और जो संशोधन हैं वे कल ले लियें जायें क्योंकि कुछ संशोधन मुझे १० बजकर १५ मिनट पर ही मिले हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

यह ठीक है, श्रीमन्, कि विधेयक पर साधारण चर्चा आज हो जाये, संशोधन कल ले लिये जायें।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

श्री लक्ष्मी नरायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो विधेयक रखा है और जो अपनी भावनायें व्यक्त की हैं उसका हम तहेदिल से समर्थन करते हैं। मैं एक बात की ओर विशेषकर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज राजनैतिक जीवन में भ्रष्टाचार आया है और राजनैतिक नेताओं में यह अवगुण रहा है इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अभी आपने कल अखबारों में देखा है कि पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री बादल और उनके साथियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं। उस पर एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने भी उन अभियोगों में कई आरोपों को सही साबित किया है। इसी तरह से और भी तमाम सूबों में इस तरह मन्त्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं और उसमें बहुत सही पाये गये हैं।

एक तरफ मैं और आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। आज जो यह संसदीय प्रजातांत्रिक प्रणाली है और इसमें जो चुनाव का तरीका है और इन चुनावों में जो तमाम धन खर्च होता है उसको इकट्ठा करने में भी राजनीतिक नेताओं को गलत रास्ते

अपनाने पड़ते हैं। वह ऐसी सामाजिक स्थिति है कि उससे पार पाना बड़ा मुश्किल है और वह भी राजनैतिक जीवन में एक बड़ा भारी भ्रष्टाचार का कारण है। हमें यह भी मालूम है कि बहुत से नेता जो कभी असेम्बली के मेम्बर नहीं रहे, मन्त्री नहीं रहे, आजादी के बाद उन्होंने काफी बड़ी सम्पत्ति बना ली, राजनीति के बल पर और इस तरह के कारनामें बराबर होते रहे हैं,। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये क्योंकि हमें यह भी मालूम है आज आप चले जायं दारुलशफा में वहा विधायकों के कमरों में अनेकों आफिसर्स मिलेंगे और वे आफिसर्स इन विधायकों का अपने ट्रान्सफर्स रोकवाने के लिये, या ट्रान्सफर करवाने के लिये या और तरह की सिफारिशें करवाने के लिये इस्तेमाल करते हैं। यह एक साधन है कि विधायक उनके लिये गलत काम करते हैं। चाहे ये इसके लिये उनसे पैसा प्राप्त करते हों, चाहे और कोई सहायता उनसे प्राप्त करते हों, ये सब काले कारनामें होते हैं।

अब यह बात कि २७ वर्ष के बाद इस तरह का विधेयक आया और तब जबकि इसके सम्बन्ध में काफी हल्ला हुआ, न केवल विरोधी दल की तरफ से बल्कि कांग्रेस के अन्दर से कांग्रेस पार्टी ने भी अपने मन्त्रियों के खिलाफ, हर सूबे में मुख्य मन्त्री के खिलाफ, दूसरे मन्त्री के खिलाफ इस तरह के अभियोग लगाये और एक ऐसा वातावरण बना कि भ्रष्टाचार में राजनैतिक नेता सन्निहित है। ऐसा वातावरण पूरे देश के अन्दर बन सके, इसलिये इसका नारा विरोधी पक्ष और सत्ता दल ने भी लगाना शुरू किया। हम यह नहीं कहते कि विरोधी दल के जो लोग हैं वे कम भ्रष्टाचारी हैं या उन्होंने भ्रष्टाचार का बहाना बना कर सरकार को या सरकारी पक्ष को बदनाम करने का प्रयास नहीं किया है।

आज जो व्यवस्था है वह पूंजीवादी व्यवस्था है और इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार को निर्मूल करने के लिये ईमानदारी से सोचना होगा। कायदा कानून बनाने से ही यह काम नहीं होने का, इसके लिये व्यक्तिगत माध्यम से प्रयास करना होगा। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो स्थिति है इसमें इस बात का प्रयास किया जाय कि लोगों को भ्रष्टाचार करने का या लोगों को भ्रष्टाचार में लिप्त होने का कम से कम अवसर दिया जाय। इसके लिये ज्यादातर कामों में अपने दल वालों को ही, अपने राजनैतिक दल के कार्यकर्त्ताओं पर ही अंकुश लगाना पड़ेगा। जब तक उनके ऊपर अंकुश नहीं लगेगा, और उनमें अनुशासनबद्धता नहीं आयेगी इस तरह का भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकेगा।

जहां तक इस विधेयक की बात है, और जो सम्पत्तियों के विवरण देने की बात है, मैं जानता हूं, नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी सम्पत्ति का विभाजन इस प्रकार से किया है कि वे कानूनी प्रक्रिया की पकड़ में नहीं आने वाले हैं। और उनके लिये इस विधेयक में कोई प्राविधान नहीं दिखलाई पड़ता है कि जो लोग सम्पत्ति का विवरण नहीं देंगे उनके खिलाफ कार्यवाही क्या होगी, उनके खिलाफ कौन सा कदम उठाया जायेगा।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो ५ साल का सवाल है, ५ साल का न रख कर एक साल का रखना चाहिये जिससे एक वर्ष के अन्दर उनकी आय का अन्दाजा लग सके कि कितनी उनकी आय हुई और किस तरह से उनकी आय हुई। इसके लिये विधेयक के जरिये कोई माध्यम, कोई तरीका निकालना चाहिये।

मान्यवर, आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक आया है और राजनीतिक जीवन को जो स्वच्छ बनाना है तो इसके साथ-साथ अगर सरकार इस बात को उपयोगी समझे, लाभकारी समझे तो राजनीतिक नेताओं के अलावा जो राजनीति को अमली रूप देने वाली नौकरशाही है, जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, उस नौकर-शाही के खिलाफ भी इस तरह का विधेयक लाना चाहिये। इससे यह पता लगेगा कि उन्होंने कितना गलत धन कमाया है, गलत तरीके से सम्पत्ति पैदा की है। इसलिये इस तरह का या कोई दूसरा विधेयक लाना चाहिये तभी राजनीतिक नेताओं को स्वच्छ रहने में और

[श्री लक्ष्मी नरायण पांडेय]

हमारी जो नौकरशाही है, उसको ठीक रखने में सहायता मिलेगी। बड़े-बड़े अधिकारियों के लिये भी ऐसा विधेयक बनाकर इस सीमा के अन्दर लाने का प्रयास होना चाहिये। यदि ऐसा किया जायगा तो भ्रटाचार के पूर्णत: उन्मूलन होने में मदद मिलेगी। और जो आप समाजवादी समाज बनाना चाहते हैं उसमें मदद मिलेगी।

इसी के साथ-साथ चूंकि मुख्य मन्त्री जी ने कुछ राजनीतिक बातें की हैं, मैं उस तरफ इशारा करना चाहता हूं कि दरअसल आपने इस बात को तय किया है कि समाजवादी-समाज का निर्माण करना है, देश के अन्दर, यह आपने तय किया है। और आपको जनता ने भार सौंप दिया है तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि देश के अन्दर जो समाजवाद विरोधी ताकतें हैं उनको दबाने के लिये, समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिये कड़े से कड़े कदम उठाये। यही एक रास्ता है, जो कदम आपने उठाया है उससे राजनीतिक वातावरण स्वच्छ बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और जो सुझाव मैंने दिये हैं उनके लिये मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि उनको इस परिधि के अन्दर लाने का प्रयास करें।

*श्रीमती इन्द्र मोहनी (जिला मुरादाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो विधेयक सदन के सामने रखा है, मुझे पूरी आशा है कि जितने भी सदस्य हैं सभी इसका स्वागत करेंगे। राजनीतिक लोगों की काफी बदनामी हो चुकी थी और जनता की ओर से काफी धब्बे भी लगे थे कि बहुत रुपया कमा रहे हैं और बहुत रुपया कमा लिया है। इसकी सचाई या झूठाई में तो मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे मालूम नहीं। इसकी काफी चर्चा यहां होती रही है। इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन है कि यह जो विधेयक उन्होंने रखा है उसका स्वागत तो हम करेंगे ही परन्तु इसके साथ-साथ अगर एक रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लागू करें, यानी कि इसको १९५२ से लागू कर दिया जाय तो इसका बहुत अच्छा असर जनता पर पड़ेगा।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

१९५२ से अगर इसको लागू कर दिया जायगा तो हमारे जो पुराने नेता हैं, पहले भी रह चुके हैं, जबसे जब तक वह रहे हैं, उनसे निवेदन किया जाय कि वह भी इसको भर कर भेजें ताकि हम लोगों को मालूम हो और जनता को मालूम हो जाय कि किसने कितना फायदा उठाया। इससे तो सिर्फ आज की जो स्थिति है वह जाहिर होगी परन्तु अगर सन् १९५२ से लागू कर दिया जायगा तो जिस समय से जो भी सदस्य रहे हैं, पूरी तस्वीर जनता के सामने आ जायगी।

इसके साथ ही साथ एक निवेदन और करूंगी कि जिन्होंने भी कोटा-परमिट, फैक्टरी का लाइसेंस या जिस चीज से सन् १९५२ से फायदा उठाया है उन सबकी तस्वीर बिल्कुल जनता के सामने और सदन के सामने आ जानी चाहिये। मुझे पूर्ण आशा है, कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज कर रही हूं कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्टस, सन् १९५२ से लागू कर दिया जाय जिससे उस समय से अब तक की अप-टू-डेट स्थिति जनता और सदन के सामने आ जाय। धन्यवाद।

*श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो हमारे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं इसका हार्दिक समर्थन करता हूं। मान्यवर, इस विधेयक के गुणों के विषय में या अच्छाइयों के विषय में देश के उत्थान के लिये यहां प्रस्तुत किया है, इस सम्बन्ध में हमारे मुख्य मन्त्री जी ने काफी प्रकाश डाल दिया है। हम इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधेयक के समर्थन में बोल करके यह प्रदर्शित करना चाहते हैं, यह बताना चाहते है कि इस विधेयक के द्वारा समाज में, राजनीतिक जीवन में एक नया अध्याय प्रारम्भ होगा। मैं अपने माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत करके उत्तर प्रदेश का नाम एक अग्रिम श्रेणी में ला दिया है जो राजनीतिक जीवन में अपनी एक स्वच्छ प्रक्रिया लाने में अग्रिम रहा है। इस विधेयक के द्वारा जहां विधायकों और मन्त्रियों को अपनी सभी सम्पति का ब्योरा देना है वहीं इसके साथ-साथ एक कमी महसूस हो रही है कि जो विधायक या मन्त्री अपनी सम्पत्ति को छिपायेगा उसकी जांच के लिये व्यवस्था होनी चाहिये, हो सकता है कि कुछ लोग सदन की इस प्रक्रिया में अपनी सम्पत्ति को छिपा दें। इसलिये निवेदन करूंगा कि इस व्यवस्था को लागू करें जिससे जांच की जा सके।

मान्यवर, भारत में भ्रष्टाचार और तानाशाही की बात करके कुछ लोग इस देश में लोक तंत्र को और इस देश की जनता को गुमराह कर रहे थे। इसलिये हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष, श्री बरूआ ने घोषणा कर दी है कि कांग्रेस के हर विधायक मन्त्री और जिला परिषदों के अध्यक्षों को अपनी जमीन का ब्योरा देना होगा। ऐसी रूस और चीन में शायद ही व्यवस्था हो। इससे हमारे राजनीतिक जीवन में एक महान क्रान्ति आयी है। इसलिये मैं कांग्रेस अध्यक्ष को भी बधाई देता हूं और इस विधेयक का हम हृदय से समर्थन करते हैं। इस विधेयक के द्वारा हम आशा करते हैं कि वह सारी बातें सामने आ जायेंगी जो कि कहते थे कि बड़ा भृष्टाचार है। इससे साबित हो जायेगा कि श्री जयप्रकाश नारायण के साथ में कौन-कौन थे, किस-किस के खिलाफ कब-कब क्या बातें हुई थीं और जो भ्रष्टाचार के महान अड्डे थे जो छिपकर भ्रष्टाचार करते थे और अपने को पाक-साफ इन्सान के रूप में खाल ओढ़ कर गलत दिशा में जा रहे थे वे सामने आ जायेंगे। इसलिये मुख्य मन्त्री जी ने इस विधेयक द्वारा ऐसे कदम उठाये हैं जिससे भ्रष्टाचार को बल नहीं मिल पायेगा। इस विधेयक द्वारा एक तस्वीर उत्तर प्रदेश की जनता के ही सामने नहीं बल्कि सारे संसार के सामने पेश की जा सकती है कि हमारे पास क्या है और दूसरे के पास क्या है। जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं उन्होंने क्या किया है और हमने किया किया है। यह लोकतन्त्र के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ मैं इस विधेयक का एक बार फिर समर्थन करता हूं।

*श्री दीप नारायण पांडेय (जिला गोंडा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) का विधेयक जो रखा गया है उसका मैं स्वागत करता हूं। इस सन्दर्भ में मान्यवर, मुझे कहना है कि इस विधेयक पर माननीय मुख्य मन्त्री काफी कह चुके हैं। फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं कि यह विधेयक इसलिये रखा गया है कि जहां भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उन पर जो इल्जाम लगाये जाते हैं वह जनता के सामने सफाई के तौर पर आने चाहिये और यह अच्छी बात भी है। चूंकि जनता के हम प्रतिनिधि हैं इसलिये उनके सामनें सारा हिसाब-किताब होना चाहिये।

लेकिन मान्यवर, मुझे एक बात यह भी कहनी है कि इसके साथ ही साथ मुख्य मन्त्री जी को और इस सरकार को यह भी ख्याल रखना चाहिये कि बहुत से लोग हैं, गोंडा में बहुतों को मैं जानता हूं, जिनके पास हजारों एकड़ खेती है लेकिन वह अपने को भूमिहीन कहते हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि जो इस तरह से चोरी कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्यवाही करने का इस विधेयक में उल्लेख होना चाहिये। मैं आपके माध्यम से इस बात की मांग करता हूं कि जो नाना प्रकार से चोरी करते हैं और चोरी करने के साधन बनाये हुए हैं ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने का प्राविधान इस विधेयक में होना चाहिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दीप नारायण पांडेय]

ऐसा संशोधन इस विधेयक में होना चाहिये कि जो इस तरह से राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार फैलाये हुए हैं उनको राजनीतिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं है। मान्यवर, यह बिल अपनी जगह एक ऐतिहासिक बिल है और इससे राजनीतिक जीवन की हत्या करने की जो प्रक्रिया चल रही थी वह रुकेगी। मैं यह भी जानता हूं कि बहुत से एम० एल० एज० यहां ऐसे हैं जो कर्जदार हो गये। राजनीतिक जीवन में आन से पहले वह कुछ काम कर लिया करते थे लेकिन राजनीतिक जीवन में आने के बाद उनकी तबाही शुरू हुई। उनके ऊपर भी लोग शंका करते हैं। लेकिन इस विधेयक से उनकी स्थिति भी साफ होगी। लेकिन जो लोग नाना प्रकार की चोरी करते हैं और सम्पत्ति इक्ट्ठी करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्राविधान इस विधेयक में होना चाहिये और मैं तो यह काहूंगा कि ऐसा प्राविधान रखें कि उनकी मेम्बरशिप सीज हो जाय। राजनीतिक जीवन में सच्चाई रहे, शुद्धता रहे और जनता का कांफीडेंस रहे इसके लिये हमें दिखलाना पड़ेगा कि हम अपने लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही कर सकते हैं।

इसके साथ-साथ जहां तक पारिवारिक दायित्वों का सम्बन्ध है उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि उसकी स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिये और एक विस्तृत रूपरेखा बननी चाहिये कि उसमें कौन चीजें आती हैं। पारिवारिक उत्तरदायित्व बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है और इसलिये इस विधेयक में यह स्पष्ट रूप से डिफाइन होनी चाहिये। अन्त में मैं मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मुख्य मन्त्री जी ने इस विधेयक को लाकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक प्रकार का वरदान दिया है।

*श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि अपने मुझे इस विधेयक पर आपनी राय जाहिर करने के लिये चन्द मिनट दिये। मैं इस विधेयक के सिलसिले मे क्यों न यहां से शुरू करूं कि "मंजिल तेरे कदम को चूमेगी मुसाफिर, हां शर्त एक है मगर हिम्मत न हार जाना"।

यह जबरदस्त चुनौती है और एक चैलेंज है जो हम समझते हैं कि आने वाला समाज और आइन्दा आने वाली नस्ल के लिये एक सीढ़ी का काम करेगा। आज वह लोग जो इस बिल के पेश होते हुये जिनमें बैचेनी पैदा हो गई, जिनके दिलों में दर्द उठ गया, जो लूट और भ्रष्टाचार तथा पूंजीवाद में यकीन रखते थे और जो रखते हों, उनके लिये तो यह चैलेन्ज है ही लेकिन साथ ही साथ जैसा मेरे एक अजीब दोस्त श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय जी ने इशारा किया कि जहां तक हमारे राजनैतिक लोंगो, विधायकों की जिन्दगी का सवाल है, उस पर भी एक बन्दिश है। मैं मानता हूं कि यह बन्दिश तो होनी ही चाहिये लेकिन इसके साथ ही साथ जो लालफीताशाही है, नौकरशाही है, उस पर कोई बन्दिश लगनी चाहिये।

मुझे मालूम है कि बहुत से शहरों में बहुत बड़े-बड़े अधिकारियों ने दूसरों के नाम ऊंची हवेली खड़ी कर ली है और अच्छी-अच्छी जायदाद ले रखी है। जितनी तराई की जमीन है जिन्हें हम आशा करते थे कि यह जमीन भूमिहीनों में तकसीम होगी वह सारी की सारी जमीन बड़े सियासी लोगों, बड़े अफसरों, नवाबों और राजाओं के पास चली गई और उन्हीं बड़े लोगों का उन पर कब्जा है और सीलिंग से बचने के लिये वह तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं। ऐसे लोगों को किस प्रकार पकड़ा जाय उसके लिये भी उपाय करना पड़ेगा, और जब तक आप ऐसे उपाय नहीं करेंगे यह मामला रुकेगा नहीं।

इसलिये जो विधेयक आज हमारे सामने आया है वह एक नई जिन्दगी है, एक नया मोड़ है जिसकी तरफ यह इशारा कर रहा है इसलिये मैं दिल से इसके लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुबारकबाद पेश करता हूं और जो कमियां हैं उनकी तरफ जरूर चाहूंगा कि वह तमाम लोग जिन्होंने १०-२० सालों में काफी दौलत और जमीन इक्ट्ठा कर ली है, जिसके बटवारे के लिये हम लगातार आवाज दे रहे हैं, अगर वह अमली रूप में पक ने गये तो कैसे काम चलेगा। तराई के इलाके में हजारों एकड़ के फार्म हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि न केवल बड़े-बड़े जमींदार, बड़े-बड़े मन्त्री, आफीसर ने वहां फार्म बना लिये हैं बल्कि फिल्म स्टार्स ने भी आकर तराई के इलाके में फार्म बना लिये हैं और इस तरीके से हमारी जमीन का और हमारी प्रोड्यूस का लूट-खसोट कर रहे हैं, उसको रोकने के लिये एक जामा-बिल लाना जरूरी है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान उन्हीं के एक स्टेटमेंट की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक पूंजीवादी व्यवस्था चलेगी, जब तक निजी सम्पत्ति का खातमा नहीं होगा तब तक इस बीमारी का खातमा नहीं होगा। चूंकि यह विधेयक निशांदेही कर रहा है, इस तरफ तो मैं इसका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मुख्य मन्त्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करता हूं और उसके लिये उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने प्रदेश की अगुआई इस मामले में की। जब सारे देश में एक प्रकार से चरित्र हत्या हो रही थी ऐसे समय में हमारे मुख्य मन्त्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत कर के एक आदर्श प्रस्तुत किया है। मुख्य मन्त्री जी ने जो विचार इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुये व्यक्त किये हैं उनसे स्पष्ट है कि कितना भ्रम जनता में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बारे में पैदा हो रहा है लेकिन इस विधेयक के प्रस्तुत होने के बाद यह स्पष्ट हो जायगा कि किस विधायक ने कितना धन अर्जित किया और किसने गलत ढंग से अर्जित किया अथवा अपने पद का दुरुपयोग करके समाज के सामने कितना गलत चित्र प्रस्तुत किया, यह इससे साबित हो जायगा।

एक बात मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि महिला सदस्य ने अभी जो एक बात उठाई थी उससे मैं भी सहमत हूं। अगर आप चाहते हैं कि जनता के समक्ष हमारें समस्त विधायकों का चित्र स्पष्ट हो कर आये, उन्होंने कितनी कमाई की है, कितना धन अर्जित किया है, तो इससे सन् १९५२ से लागू करना चाहिये। मुझे याद आता है कि जब मैं स्वयं लोक सभा में सदस्य था और विपक्ष में बैठता था उस समय मैंने एक गैर-सरकारी संकल्प लोक सभा में प्रस्तुत करने की सूचना दी थी। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज वह मेरा स्वप्न मुख्य मन्त्री जी ने साकार कर दिया। २५ वर्षों में जब से देश आजाद हुआ हमारे विधायकों में, मन्त्रियों में आपस में बहुत झूठे सच्चे आरोप लगाये जाते थे लेकिन पता नहीं चल पाता था क्या सत्य है और क्या असत्य है? आज इस विधेयक के पास हो जाने के बाद हर एक की स्थिति स्पष्ट हो जायगी कि कौन क्या था और क्या है?

मैं मुख्य मन्त्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह विधेयक इस मामले में अधूरा रहेगा अगर आपने इसमें यह व्यवस्था नहीं की कि जो विधायक अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं देगा तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायगी। इस विधेयक में यह व्यवस्था होनी चाहिये थी और हर विधायक के लिये अनिवार्य हो कि वह अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा दे। इसके साथ ही साथ इस विधेयक में जहां विधायकों की सम्पत्ति का ब्यौरा होगा उसके साथ ही साथ इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिये कि हमारे जो बहुत से विधायक हैं, मन्त्री हैं, जिन्होंने सम्पत्ति अर्जित की और उनका जो परिवार है उसका वितरण उन्होंने उसमें किस प्रकार से किया, उसका भी ब्यौरा दिया जाना अनिवार्य होना चाहिये। साथ ही साथ इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये कि हमारे समाज के केवल विधायक ही अंग नहीं हैं, उन पर ही आरोप नहीं लगते हैं। जबसे देश आजाद हुआ है डाक्टर, वकील, फिल्म अभिनेता, उच्चाधिकारी तथा ठेकेदार भी हैं जिन्होंने गलत ढंग से सम्पत्ति अर्जित की है।

[श्री जगदीश अवस्थी]

कानून उसके लिये बना हुआ है लेकिन जिन्होंने गलत ढंग के सम्पत्ति अर्जित की है उनका चित्र हमारे समक्ष नहीं आया।

मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा अगर वह चाहते हैं कि प्रदेश का जन जीवन उज्ज्वल हो तो भ्रष्टाचार चाहे सार्वजनिक जीवन में हो अथवा समाज के दूसरे अंगों में हो सभी का चित्र स्पष्ट होना चाहिये कि आजादी के बाद कितनी सम्पत्ति किसने अर्जित की और किस प्रकार की ? मेहनत से धन कमाना कोई बुरा नहीं है लेकिन बगैर मेहनत के धन कमाना, लाइसेंस परमिट के जरिये धन अर्जित करना एक बड़ा अपराध है। पाप है। गांधी जी ने कहा था कि राजनीति त्याग और तपस्या है। राजनीति धर्म है, धन्धा नहीं है लेकिन आजादी के बाद हमारे कुछ राजनीतिज्ञों ने इस राजनीति को धर्म के स्थान पर धन्धा बना रखा था। इस सम्बन्ध में जनता में बहुत गलत ढंग से चित्र उपस्थित किया जा रहा था। आज जो हमारे विधायक हैं, जो देश के निर्माता हैं विधान सभा में बैठते हैं अथवा लोक सभा में बैठते हैं वे सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। भाषण कुछ देते हैं और उनका आचरण कुछ होता है तथा आपस में आरोप-प्रत्यारोप करते हैं। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने सार्वजनिक जीवन में बड़े उपकार किये हैं। जब हम लोग चुनाव में जाते हैं, जीतते हैं तो हमारे ऊपर अनेक प्रकार के गन्दे आरोप प्रत्यारोप लगाये जाते हैं। जो लोग उसमें धूमिल हो जाते हैं वे ही इस तरह के आरोप लगाते हैं। तो इस बिल के आने के बाद यह मालूम हो जायेगा कि कौन क्या है। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने भी कहा कि इसमें यह भी व्यवस्था होनी चाहिये कि पिछले समय से जो यहां पर विधायक रह चुके हैं, परलोक में चले गये हैं उनके परिवार के जो लोग होंगे, उनसे उनकी सम्पत्ति का ब्योरा लिया जाना चाहिये। साथ ही यहां से जो सदस्य निवृत्तमान हो गये हैं और जीवित हैं उनका भी ब्यौरा आना चाहिये। मुझे विश्वास है कि अगर आप इस विधेयक को सम्पूर्ण रूप से परित करना चाहते हैं और जनता के समक्ष सही-सही चित्र उपस्थित करना चाहते हैं तो विधेयक में इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिये।

इसके साथ ही जैसा कि मैंने निवेदन किया, समाज के जो दूसरे वर्ग हैं जो गलत ढंग से सम्पत्ति अर्जित करते हैं उनके लिये भी अलग से एक विधेयक लाकर उसकी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे ऐसे लोगों को भय हो, आशंका हो कि हम जो सम्पत्ति अर्जित करेंगे तो बच नहीं सकते हैं। अगर आप ऐसी व्यवस्था कर दें तो मैं समझता हूं कि हमारे इस विधेयक की मंशा पूरी होगी। आजादी होने के बाद हम समाजवाद और जनतन्त्र की बात करते हैं लेकिन जब हम आचरण देखते हैं तो कष्ट होता है। इस विधेयक के आने के बाद सारा चित्र जनता के समक्ष आ जायेगा। मुख्य मन्त्री जी ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है वह एक बड़ी भारी सफाई का कार्य किया है इसलिये मैं उन्हें पुन: इसके लिये बधाई देता हूं और खासकर मुझ जैसे व्यक्ति की जिसने पहले इसकी कल्पना की थी, आज मुख्य मन्त्री द्वारा मेरी वह कल्पना साकार हुई है। इन शब्दों के साथ मैं उन्हें धन्यावाद देता हूं और इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)--

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी शुक्र गुजार हूं कि आपने मुझे इस समय अपने विचार प्रकट करने का सुअवसर दिया। माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा जो विधेयक इस समय सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका पूर्णतया समर्थन करती हूं। हम सभी विधायकगण इसका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा होगा कि अगर विरोधी दल के लोग भी इस विधेयक पर यहां उपस्थित रह कर अपने विचार प्रकट करते और इस विधेयक को पास करने के लिये अपना पूर्ण बल प्रदान करते। लेकिन वे कुछ समझबूझकर ही उसके पास होने के पहले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही सदन से चले गये। हम सब जितने भी कांग्रेस के विधायकगण हैं, इस विधेयक का समर्थन और स्वागत करते हैं और मैं समझती हूं कि जो विरोधी दल के लोग हमसे नाराज होकर बाहर चले गये हैं, वे भी उसका समर्थन करते, अगर वे यहां होते। मान्यवर, यह बात सही है कि राजनीतिक क्षेत्र में हमारा जो वातावरण दूषित हो गया था उसको शुद्ध करने की बहुत जरूरत थी। हमारी जनता में राजनीतिक जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के प्रति जो विश्वास होना चाहिये वह उठता चला जा रहा है, ऐसा मैंने देखा। इसलिये यह बहुत जरूरी था कि ऐसा विधेयक सामने आये, ऐसा विधेयक पास हो जिससे जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच में जो दूरी है वह कम हो और वे एक दूसरे के निकट आयें। और एक विधायक जनता का प्रतिनिधि है, इसलिये यह आवश्यक है कि उसके पास जो कुछ भी धन है, सम्पत्ति हैं, उसका ज्ञान पब्लिक को होना चाहिए। यह बात जरूरी है कि जो भ्रष्टाचार है, उसके विरुद्ध आवाज उठनी चाहिए और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध ऐक्शन लेना चाहिये। लेकिन साथ हीं यह भी देखना है कि जो चरित्रवान व्यक्ति है चरित्रहनन के द्वारा उनके साथ अन्याय न होने पावे। इस बिल के द्वारा साफ हो जायगा कि कौन व्यक्ति गलत है और कौन गलत नहीं है। इससे यह मालूम हो जायगा कि किसने कितनी सम्पत्ति गलत तरीके से जमा की है, किसने समाज का कितना धन हड़पा है। पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था में भ्रष्टाचार को पूर्णतया समाप्त करना स्वप्नमात्र है। जब तक पूंजीवादी व्यवस्था है, हम भ्रष्टाचार को दूर नही कर सकते। इस व्यवस्था के चलते इस साम्राज्यवादी, उपनिवेश-वादी व्यवस्था के चलते तस्कर, जमाखोर, रिश्वतखोर आदि सब पैदा होते हैं। ये सब पूंजीवाद की ही सन्तानें हैं। जब तक इसकी व्यवस्था है हमें कुछ न कुछ समाज पर नियन्त्रण लगाना है, ताकि पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न जो दोष है, वे कम से कम रह जायं और हम अपने राजनैतिक और सामाजिक जीवन को पवित्र और निर्मल बना सकें।

विधायकों और मन्त्रिगण के विषय में यह विधेयक उपस्थित हुआ, यह तो बहुत अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि जो हमारी नौकरशाही है, अफसर हैं उनके सम्बन्ध में भी एक ऐसा विधेयक सामने आना चाहिये कि जब से उन्होंने नौकरी शुरू की है तब से हर वर्ष उनकी सम्पत्ति में कितनी वृद्धि होती चली जा रही है। इनका भी कुछ नक्शा सामने आना चाहिये, क्योंकि नौकरशाही भी हमारे समाज की एक आवश्यक अंग है, उसकी निर्मलता पर भी हमें जरूर ध्यान देना चाहिये। जब तक हमारी नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी पवित्र नहीं होंगी, हम अपने प्रोग्रेसिव विचारों को, आदर्शों को क्रियात्मक रूप नहीं दे सकेंगे। इस बात के लिए मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी को एक राय देना चाहती हूं कि भविष्य में वह इस बात का अवश्य ध्यान रखें।

एक बात और कहना चाहती हूं इस विधेयक के अन्तर्गत जमीनें हमें देखनी हैं कि कितनी जमीनें किसके पास हैं, लेकिन ऐसा भी है, कई सौ या कई हजार एकड़ भूमि कुछ लोगों के नाम हैं, लेकिन वह सब फर्जी हैं, इसकी जांच ठीक से होनी चाहिये। हजारों एकड़ जमीन है, जिसमें कई फर्जी नाम हैं, किन्तु असली मालिक एक ही है। इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिये और जो गलत एकाउन्ट्स दें, उनके खिलाफ भी कड़ा ऐक्शन लिया जाये, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिये एक बात और कहना चाहती हूं कि समाजवाद की तरफ हमारी पार्टी जो कदम बढ़ा रही है, उसकी तरफ यह एक सफल और आवश्यक कदम है। हमारी इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में जो प्रोग्रेसिव स्टेप्स उठाये जा रहे हैं, उनके लिये यह बहुत जरूरी था। इसके लिये मैं अपने मुख्य मन्त्री जी को हार्दिक बधाई देती हूं कि जो उन्होंने ऐसा कदम उठाया है, प्रगतिशील कदम उठाया हे, जो समाजवाद लाने में बहुत सहायक होगा।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देती हूं।

*श्री शिवकुमार पान्डेय (जिला सुल्तानपुर)---

मान्यवर, यह विधेयक जो आज माननीय मुख्य मन्त्री ने सदन के सामने रखा है इससे हमारी सरकार और हमारी पार्टी का उज्ज्वल चरित्र आज संसार के सामने साफ हो जाता है। अब तक हमारे विरोधी भाई विरोधी बेंचों पर बैठ कर कहते थे कि हम चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं हमने हिसाब नहीं दिया, आज जब विधेयक आया कि आज हमारे पास कितनी सम्पत्ति है, कल कितनी रहेगी, इसकी घोषणा करने के लिये, तो इस पर बैठना भी मुनासिब नहीं समझा, चूंकि इससे उन पर प्रतिबन्ध लग जाता है कल से वह इसकी चर्चा करने में सफल नही हो सकेंगे। करेंगे तो रेकर्ड मौजूद रहेगा। चूंकि वह अपनी कमजोरी स्वीकार नही करना चाहते हैं इसलिए इस महत्वपूर्ण विधेयक पर वह मौजूद नहीं रहे। जब कि उन्हें रहना चाहिये था। यह विधेयक हमारी पवित्रता को कायम रखता है। यही नहीं कि सरकार ऐसा कानून बना रही है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने भी तमाम कांग्रेसजनों के पास संदेश भेजा है कि वह अपनी सम्पत्ति का विवरण कांग्रेस कमेटियों में दें चाहे कांग्रेस के मन्त्री हों या साधारण कार्यकर्ता हों। इसलिए हम सरकार से लेकर पार्टी के अन्दर अपनी पवित्रता को दिखाना चाहते हैं।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक में दो कमियां हैं। एक तो यह है, जैसा कि संविधान में संशोधन पास हुआ, उसमें संशोधन में एक शब्द नहीं था, अगर कोई विवरण न दे तो क्या होगा, यह विधेयक में साफ नहीं है। अगर किसी की सम्पत्ति ज्यादा और बेकायदा बन गयी तो सजा क्या होगी ? मान्यवर, इस विधेयक में ये तमाम चीजें नहीं हैं। अगर विवरण न दे तो क्या होगा और अगर हम विवरण दें और ज्यादा बकायदा सम्पत्ति बढ़ जाय तो हमारा क्या होगा? मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर हो सके तो ऐसा संशोधन जोड़ें ताकि ऐक्ट प्रभावपूर्ण हो जाय। यह विधेयक ऐसा है इस पर बोला क्या जाय ? मेरी सम्पति इतनी है, आगे नहीं बढेगी, उसका एक अंकुश भी रहेगा। अपनी मनमानी नहीं कर सकते। भ्रष्ट भी होना चाहेंगे तो हमारी नैतिकता को कायम रखेगा। इस लिए जितने जन प्रतिनिधि हैं इस का स्वागत करें। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री और इस सरकार को बधाई दूंगा कि इस विधेयक को ला कर तमाम राजनीतिक व्यक्तियों की तस्वीर को जनता के सामने साफ किया है। अगर इस विधेयक को जितने सार्वजनिक काम करने वाले हैं, चाहे राजनीतिक हों या सरकारी कर्मचारी हों सब के लिए लाया जा सके तो और उत्तम होगा। मैं इंद्रमोहिनी जी की बात की ताईद करता हूं कि पिछले टर्म से, पांच साल पहले से विधेयक लागू कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। पिछले बार जब हम विधायक थे तो हमारी सम्पति कितनी थी और अब क्या हो गयी है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)---

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का समय दिया। यह बिल जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आज सदन के समक्ष रखा है इस बिल ने कांग्रेस की तस्वीर को जनता के सामने बहुत स्वच्छ और साफ कर दिया। यह साबित कर दिया कि कांग्रेस इन्साफ चाहती है। कांग्रेस खराबियों को दूर करना चाहती है। उन विधायकों पर जो गलत रूप से पैसा कमाते थे, उनके ऊपर अंकुश लगाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कम से कम इस बिल की मियाद सन् १९६७ से कर दी जाय ताकि जो १९६७ से विधायक रहे हैं, जो मन्त्री रहे हैं या मुख्य मन्त्री रहे हैं, उनके ऊपर भी अंकुश लगाया जा सके और उनकी जांच

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जा सके। वह भी इस दायरे के अन्दर आ सकेंगे। एक चीज मेरे साथी ने कही कि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं रखी गयी है कि अगर कोई अपनी हैसियत के बारे में सही विवरण नहीं देता तो उसके लिये कोई अख्त्यारात नहीं दिये गये हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं कि इस बात को भी रखा जाय। इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो गलत विवरण दे उसके विरुद्ध कार्यवाही हो। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

श्री ऊदल हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मेरे ऊपर निगाह ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मेरी निगाह इधर से उधर और उधर से इधर चलती है।

श्री ऊदल--

आपका संकट दूर हो रहा है।

(हंसी)

श्री राम समुझ तिवारी (जिला बस्ती)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो विधेयक पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं सवा वर्ष से विधायक हूं, लेकिन समझ नहीं पाया कि पैसा कैसे पैदा किया जाता है। मुझे तो माननीय मन्त्रियों के यहां जाने में दिक्कत होती है। रिक्शा का किराया लगाना पड़ता है, पैसा अपने पास है नहीं। हमारी दिक्कतें हैं। हमारे वेद शास्त्री ने यह कहा कि हर मनुष्य ईमानदार है जब तक यह सिद्ध न हो जाय कि वह बेईमान है। विधायक को जनता के सामने चुनाव लड़ना होता है। ५ वर्ष में चुनाव होता है और उसे जनता के सामने जाना पड़ता है और उसकी ईमानदारी और बेईमानी जनता के सामने खुल जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि चोरी वही करता है जो चोरी का हल्ला मचाता है। एक दिन मैं दिल्ली से आ रहा था, तो उसी कम्पार्टमेंट में एक सज्जन बैठे हुये थे वे बहुत बुराई कर रहे थे। मैंने उनसे उनका परिचय पूछा तो मालूम हुआ कि वे रस्तोगी हैं और पैसा बांटने का काम करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप इसीलिये गाली दे रहे हैं कि कर्जा माफ कर दिया गया है और आपका बहुत सा रुपया डूब गया होगा। आप उन्हीं व्यक्तियों में से एक हैं जो १०० रु० का प्रोनोट लिखाते हैं और गरीब आदमी को ७५ रुपया देते हैं। कचहरी में जावें वहां पर कितना झूठ शुरू हो जाता है। विरोधी दलों के लोग तो हम को चोर कहते थे लेकिन यह विधेयक जब आज सदन में पेश है तो स्वयं भाग गये। चोरी करने के भी कई तरीके हैं। पैसा लेने सदन में आ गये और फिर वाक आउट कर गये माननीय अध्यक्ष के समक्ष कुछ लेख पढ़ कर। माननीय मुख्य मन्त्री जी की मैं ही क्या तारीफ करूं आज सारी दुनिया उनकी तारीफ करती है। मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि वे पुराने बेईमानों का भी कुछ खयाल करें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, १९७५ पर विचार रखने का जो अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष--

अभी तो उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक, १९७५ पर विचार हो रहा है।

श्री मोहम्मद रफी खां--

तो ठीक है, मैं बैठ जाता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

यह सदस्यों की हैसियत से सम्बन्धित विधेयक है, इस पर भी आप बोल लें ?

श्री मोहम्मद रफी खां--

यह जरूरी नहीं है, कि सरकार हर काम गलत करे, वह कुछ सही भी करती है, और उसका उस मामले में समर्थन भी करना पड़ता है।

*श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, आज जो मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक, १९७५ सदन में पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मैं यह मानता हूं कि यह बहुत क्रान्तिकारी कदम है लेकिन एक बात कहने के लिये मैं क्षमा चाहता हूँ कि कोई भी क्रान्तिकारी कदम अगर उठाया जाय और वह अधूरा रहे तो यह बात उचित नहीं लगती। इस विधेयक के अन्दर कुछ खामियां हैं और उन्हें हमें दूर करना निहायत जरूरी है। सबसे पहली खामी जो इसमें है, वह यह है कि विधेयक जहां चरित्रहनन को रोकने के लिये लाया गया है, वहां विधेयक इस पृष्ठभूमि में भी लाया गया है कि कुछ लोग विरोधी दलों में ही नहीं वरन् हमारे दल में भी ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं, जिन्होंने जमीन के सीलिंग को जानबूझ कर तोड़ा है। इस विधेयक में केवल यह दिया गया है कि जिस रोज से वे विधायक बने, अपने विधायक के या मन्त्री पद के दौरान में ही केवल उस अर्जन का विवरण दें, मैं समझता हूं कि यह बात इस विधेयक में अधूरी है। यदि वास्तव में राजनीतिक जीवन में या अन्य किसी प्रकार की चोरी दूर करना है तो यह बहुत आवश्यक है कि जिन लोगों के द्वारा जमीन की सीलिंग के कानून को तोड़ा गया है, या जिन्होंने नाजायज तरीकों से सम्पत्ति कमाई है, उनका विवरण उनके विधायक होने या मन्त्री बनने के समय से ही नहीं बल्कि पहले सालों से भी लेना चाहिये क्योंकि यह विधेयक उसी पृष्ठभूमि में आया है।

यह सही है कि कुछ लोगों ने नाजायज तरीके से सम्पत्ति अर्जित की है, कानून को तोड़ कर विभिन्न नामों से, जैसा कि हमारे यहां पर सभी विधायक लोग जानते है कुछ लोगों ने सीलिंग की जमीन के फर्जी पट्टे किये हैं। हालत तो यहां तक है कि जो बच्चे संसार में भी नहीं आये हैं, उनके नाम से जमीनें और सम्पत्ति अर्जित कर रखी है। तो मेरा सुझाव है कि इस विधेयक में एक धारा यह होनी चाहिये कि इसको रिट्रास्पेक्टिव पिछले सालों से लागू किया जाय, मौजूदा हालत पर ही न लगाया जाय।

एक और अव्यवहारिक बात मुझे इसमें लगी है। इसमें जो फार्म दिया गया है उसमें जो जमीन और मकान के मूल्यांकन का जो कालम है, मैं समझता हूं कि जिन से भी मूल्यांकन मांगा जायगा वह सही नहीं देगा क्योंकि मूल्यांकन करना भी स्वयं किया गया है। यह तो सही हो सकता है कि जमीन कितनी एकड़ है, मकान इतना बडा है लेकिन अगर उनसे उसकी कीमत पूछी जायगी तो वह सही नहीं आ सकती है। लिहाजा मेरा सुझाव है कि इस विधेयक में यह प्राविधान होना चाहिये कि उस प्रोपर्टी का मूल्यांकन सरकारी मशीनरी से कराया जाय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और अगर किसी विधायक को या मन्त्री को एतराज हो वह अपोज कर सकता है। इसके अन्दर यह एक कमी मुझे नजर आयी कि इसमें कोई पेनाल्टी क्लाज नहीं है। अगर कोई अपनी सम्पत्ति का ब्योरा नहीं देता है तो उसे क्या दन्ड दिया जायगा यह इसमें होना चाहिये। बिना उसके यह प्रभावहीन हो जायगा। केवल गजट में प्रकाशित करना ही काफी नहीं है। यदि कोई अपनी सम्पत्ति का गलत ब्योरा देता है तो भी उसे दन्ड मिलना चाहिये। उसके लिये इसमें कोई क्लाज नहीं है। जब यह रखा जायगा तभी यह विधेयक कामयाब होगा। हमारे बरुआ साहब तक ने कहा है कि इस विधेयक को लागू करते समय हमें यह मोह छोड़ना होगा कि कौन मन्त्री है या कौन किस दल का सदस्य है। हमारे दल का विधायक भी या मन्त्री भी अगर कोई गलती करता है तो उसे भी सख्त से सख्त दन्ड मिलना चाहिये। उसे पार्टी से निकाला भी जायगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें पेनाल्टी क्लाज होना चाहिये। यह करके हम जनता को यकीन दिला सकेंगे कि श्रीमती इन्दिरा जी ने जो कदम उठाया है वह केवल विरोधियों के लिये ही नहीं है, अपनी पार्टी तक के लोगों के लिये भी है, अगर हमारी पार्टी के लोग भी गलत काम करते हैं तो उनके खिलाफ भी वही कार्यवाही की जाती है जो विरोधी दल के साथ। जब हम यह करेंगे तभी इस पार्टी में भी एक नया जीवन आयेगा। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि इसमें जो कमी नजर आती है उसे पूरा किया जायगा और मेरे सुझावों पर विचार किया जायगा।

श्री ऊदल—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो यह विधेयक पेश किया है सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता लाने के लिये इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता केवल इसी बात से आंक ली जाय कि कोई विधायक, एम० पी० या एम० एल० सी० लोग ही ऐसा कर लें तो सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता आ जायेगी, मैं समझता हूं कि उसके लिये यही काफी नहीं है। इससे राजनीतिक जीवन स्वच्छ नहीं हो सकता है। इसका बहुत व्यापक क्षेत्र है। राजनीतिक जीवन में जो लोग रहते हैं उनकी आड़ में लोग तरह-तरह का भ्रष्टाचार करते हैं और धन का संचय करते हैं, सम्पत्ति बटोरते हैं। उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिये। उसके लिये भी एक व्यापक विधेयक लाना होगा।

हमारा देश बहुत बड़ा है, यहां हाजी मस्तान जैसे जाने कितने लोग राजनीतिक लोगों की आड़ में धन का संचय कर रहे हैं। इनका भी बहुत बड़ा सर्किल है। ऐसे लोग सर्विसेज में भी हैं जो जन जीवन को अशुद्ध कर रहे हैं। वह सर्विसेज के लोग हैं। आपको, मुख्य मन्त्री को और हमारे माननीय सदस्यों को मालूम है, इसी लखनऊ में सेक्रेटेरियट के बड़े-बड़े आफिसर्स हैं जो लाखों रुपये के निजी मकान बनाये हैं और सरकार का किराये का मकान लेकर रहते हैं और अपना मकान हजारों रुपये के किराये में उठाये हैं। क्या इसकी जानकारी सरकार को नहीं है? सरकार के पास लिस्ट न हो तो मैं दे सकता हूं, उनके बारे में सरकार ने क्या किया? चिनहट रोड पर इसी लखनऊ में हजारों एकड़ जमीन अफसरों ने बाग, खेत, बंगले की लान के नाम पर इक्ट्ठी कर रखी है और इसके अलावा सिंचाई विभाग के महमूद अली साहब बैठे हैं, करोड़ों रुपये के वारे न्यारे हो रहे हैं। नौकरियों में भर्ती हुये टूटे-फूटे लोग, वह आज फियट कार पर चल रहे हैं लेकिन उंगली है विधायकों पर। यहां दो-चार हो सकते हैं कार वाले लेकिन ज्यादातर साइकिल या फिर पैदल वाले हैं। लेकिन बाहर ऐसे लोग बैठे हुये हैं जो हमारी आड़ लेते हैं, राजनीतिक आड़ लेकर जिन्होंने धन संचय किया है उनकी उंगली भी खद्दर पहिनने वालों पर उठती है। आज खद्दर पहिन कर और टोपी लगाकर बसों और ट्रेनों में चलना अपमानजनक हो गया है। महात्मा गांधी ने एक अलख जगाया, खद्दर गुलामी को तोड़ने का प्रतीक था, राष्ट्रीयता का प्रतीक है। लेकिन उस खद्दर को पहिनकर चलना ट्रेनों और बसों में, सड़कों पर अपमानजनक मालूम होता है। मालूम होता है कि हम कोई अच्छे इन्सान नहीं हैं।

[श्री ऊदल]

गन्दे लोग भी उंगली उठाया करते हैं और अपमानजनक शब्द बोला करते हैं। ऐसे ही लोग समाज में आज राजनैतिक शरण लेकर धन संचय और भ्रष्टाचार करते हैं। उनके ऊपर भी हमारी निगाह होनी चाहिये।

हमको जन-जीवन को, राजनैतिक जीवन को स्वच्छ करना है और इस देश को ऊंचाई की सतह पर ले जाना है। हमें हर स्तर पर, चाहे राजनीतिक स्तर हो, सर्विसेज का स्तर हो, रोजगार का स्तर हो, सभी क्षेत्रों से भ्रष्टाचार को, चोरी को, धन-संचय को रोकना होगा और जन-जीवन को शुद्ध करना होगा। लेकिन यह इस पूंजीवाद के जीवन में सम्भव नहीं है। मैंने कल-परसों माननीय बरुआ जी का स्टेटमेंट पढ़ा था। उन्होंने कहा कि भारत सम्पत्ति-हीन समाज की स्थापना चाहता है। मैं तो चाहता हूं कि यह सम्पत्तिहीन, जातिविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना हो, मगर जब तक पूंजीवाद है तब तक धनसंचय की प्रवृत्ति और अच्छा जीवन व्यतीत करने की प्रवृत्ति, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहिनने की, अच्छी सवारी की प्रवृत्ति बनी रहेगी। जब हमको देश और समाज को ऊंचा उठाना है तो इन बुराइयों के ऊपर भी अंकुश लगाना पड़ेगा और निगरानी करनी होगी। इसलिये मैं माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं, लेकिन मैंने जो सुझाव दिये उन पर भी विचार करेंगे जिससे प्रजातन्त्र की नींव मजबूत हो और देश स्वच्छ हो।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, आज प्रदेश की जनता के सामने हमार माननीय मुख्य मन्त्री जी ने समस्त जन-प्रतिनिधियों का मुख उज्ज्वल कर दिया है। यह विधेयक ला कर हमारे दल ने यह साबित कर दिया है कि जन-प्रतिनिधियों के ऊपर जो विधान सभा में और बाहर भी लांछन लगाये जाते हैं, हमारा दल शासन के माध्यम से उसकी भी जांच करायेगा। और जो व्यक्ति दोषी पाया जायेगा वह कटघरे में खड़ा कर दिया जायगा। हमारे कांग्रेस दल के अध्यक्ष महोदय ने भी अपनी यह इच्छा व्यक्त की है और हमारे देश की प्रधान मन्त्री जी ने भी यह आदेश कर दिया है कि जन-प्रतिनिधियों के चरित्र की जांच बराबर होती रहनी चाहिये, अब यह हम सब के ऊपर निर्भर है कि हम अपनी सम्पत्ति का ब्योरा किस प्रकार से दें, अपने को बचायें या अपने को स्वच्छ रखें यह तो हमारे साथियों की इच्छा के ऊपर है। अगर हमें स्वच्छ रहना है तो हम अपनी सम्पत्ति का पूर्ण रूप में ब्योरा दें, इसी में हमारी सफाई होगी।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जब राजनीतिक कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों की जांच पड़ताल की जा रही है, उनके लिये यह विधेयक लाया गया है तो यह भी जरूरी हो गया है कि सरकारी कर्मचारी जो कचहरियों में अपने पेशकार के माध्यम से, वकीलों की दलाली से दो रुपये की वसूली करते हैं उसके लिये भी कोई ऐसा विधेयक आना चाहिये कि जो गरीब जनता कचहरियों में न्याय मांगने के लिये आती है उससे जो दो रुपये की वसूली की जाती है ऐसे अधिकारियों को भी दन्डित किया जा सके। अभी इलाहाबाद में एक अधिकारी पकड़ा गया अपने चपरासी से दो रुपये घूस मंगवाते हुये। कितनी लज्जा की बात है कि हरिजन लोग आजकल जाति का प्रमाण-पत्र लेने जाते हैं तहसीलों में—मैं अपने यहां की मिसाल देता हूं—और चायल के तहसीलदार कहते हैं कि चपरासी से बात करो और चपरासी १० रुपये की मांग करता है। मैं समझता हूं कि यह बहुत अनुचित बात है और इसकी जांच पड़ताल करने के लिये इस माननीय सदन की एक कमेटी बन जानी चाहिये।

जब जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों की जांच अधिकारी लोग करेंगे तो इन अधिकारियों की जांच पड़ताल के लिये सदन की भी एक कमेटी होनी चाहिये ताकि जनता के सामने उनकी भी सही तस्वीर आ सके। अभी माननीय राजस्व मन्त्री जी ने न जाने कितनी जांच पड़ताल कर के अपना स्टेटमेंट दिया है कि न जाने कितने अधिकारी लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर

में बैठे हुये हैं और अपने भाई भतीजों के नाम नगरमहापालिका और गांव सभाओं की जमीन हड़प रखी है। उदाहरण के लिये मैं एक मिसाल अपने पड़ोस की देना चाहता हूं। चायल के एक कर्मचारी केदार शुक्ला ने अपनी बीबी के नाम दो लाख रुपये की जमीन २ रुपये वार्षिक में पट्टा करवा लिया है। राजस्व परिषद् के उच्च अधिकारी लोग रिटायर हुये। उन्होंने अपनी बीबी बच्चों के नाम कितनी ही जमीन एलाट करवा ली है। एक तरफ हरिजनों को जमीन देने में ये सरकारी कर्मचारी टीका टिप्पणी करते हैं और स्वयं ऐसे काम करते हैं। हमारे दल की नीति स्पष्ट है कि भूमिहीनों को, हरिजनों को, गरीबों को न्याय मिलेगा और उनको जमीन दी जायगी लेकिन ये सरकारी अधिकारी न्याय को नहीं देखते हैं और अपने बीबी बच्चों के नाम सम्पत्ति लिखा लेते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप किस पर बोल रहे हैं ?

श्री कन्हैया लाल सोनकर—

मैं इसी विधेयक पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप विधेयक की परिधि से बाहर जा रहे हैं।

श्री कन्हैया लाल सोनकर—

मैं इस विधेयक पर ही मान्यवर, बोल रहा हूं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जहां जन-प्रतिनिधियों के लिये इस विधेयक को बनाने जा रहे हैं तो उसी प्रकार जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी भी इसी प्रकार से जांच करें और उनके हिसाब-किताब का ब्योरा लें, जिस तरह से जन-प्रतिनिधियों का लेना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद रफी खां—

अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपको एक मर्तबा समय दिया गया, आप उस वक्त बोले नहीं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

मान्यवर, विरोधी दल की ओर से एक माननीय सदस्य ने प्रार्थना की है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप उनको बोलने दें।

श्री अध्यक्ष—

एक बार बोलने का अवसर दिया जाता है, दो बार नहीं।

श्री मोहम्मद रफी खां –

आज तो मैं अकेला हूं, इन्टायर अपोजीशन की तरफ से अकेला हूं।

श्री अध्यक्ष—

बहुतों ने नहीं समझा कि इस पर बोलना है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

मान्यवर, अपवादस्वरूप कुछ कर दें।

*श्री मोहम्मद रफी खां—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इस बिल का समर्थन करता हूं। साथ ही साथ गुजारिश करता हूं कि इसमें हम लोगों के अलावा चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड, अध्यक्ष जिला परिषद्, मेम्बर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और प्रेसीडेन्ट और जनरल सेक्रेटरी सारी सियासी पार्टियों के शामिल कर लिये जायं ताकि अवामी नुमाइंदे जो हैं उनकी कायदे से निगरानी की जा सकें। दूसरी बात यह है कि इसमें य० पी० के जो राज्य सभा और लोक सभा के जो सदस्य हैं उनसे हिसाब लेने की गुन्जाइश नहीं है। यह लोग भी पॉलीटिकल लोग हैं इनको भी बराये मेहरबानी के साथ शामिल किया जाय। इस निवेदन के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से इस विधेयक का समर्थन करने के लिय खड़ा हुआ हूं। हमारे यहां एक कहावत है कि—

'कहत कबीर सुनो भाई बच्चा, जबहिं चेतिया तबहिं से सच्चा।'

तो मतलब यह है कि जबसे चेतो तभी से अच्छा है। वास्तव में इस बिल को बहुत पहले आ जाना चाहिये था और काफी अरसे बाद यह बिल आया है फिर भी मुख्य मन्त्री महोदय इस बात के लिये धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार राजनीतिज्ञों का सबसे प्रिय विषय रहा है। इसकी चर्चा करने में सबको रस मिलता है। भ्रष्टाचार की बात चाहे गोष्ठी हो या कोई सभा हो सब कहीं होती है। पहले की आप कोई कार्यवाही उठाकर देख लीजिये तो श्रीमन्, आप देखेंगे कि उसका तीन चौथाई से भी अधिक समय केवल भ्रष्टाचार के वाद-विवाद में व्यतीत होता रहा है। इसके लिये आवश्यकता थी कि जन-जीवन में स्वच्छता आ जाय। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मुझे इस बारे में कतई विश्वास नहीं है कि केवल इस बिल के आने से सार्वजनिक जीवन स्वच्छ हो जायगा। क्योंकि बहुत से तरीके ऐसे हैं जिसका फायदा उठाया जायगा। हम जानते हैं, मन्त्री महोदय जानते हैं, दूसरे लोग जानते हैं कि जो चोरी करने वाले लोग हैं वह तमाम रास्ते निकाल लेते हैं। जैसे कहावत है कि :—

"तू डार-डार मैं पात-पात।"

लेकिन फिर भी एक रास्ता निकाला गया जिससे कि स्पष्ट हो सकेगा कि विधायकों और मन्त्रियों की कितनी हैसियत है और भविष्य में अगर वह अपनी हैसियत को बढ़ाते हैं तो वह चीज जनता के सामने आ जाय। इसी के साथ-साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं वह यह है कि लोक आयुक्त बिल आने वाला है, मैं तो कहता हूं कि वह बिल इस बिल का पूरक बिल है। उस बिल में यह व्यवस्था की गयी है कि श्रेणियां, कैटेगरीज गिनायी गयी हैं जिनकी जांच का प्राविधान उस बिल में होने वाला है क्योंकि वह बिल हम लोगों को मिला हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि जहां आप मन्त्रियों, विधायकों, के एसेट्स डिक्लेरेशन का प्रावीजन करते हैं उन्हीं के साथ तमाम लोगों को जिनको कि लोक आयुक्त बिल में गिनाया गया है उनके भी एसेट्स डिक्लेरेशन की व्यवस्था करनी चाहिये? इससे यह होगा कि जिस वक्त उनकी जांच के लिये कोई दरख्वास्त देगा तो उस वक्त मदद मिल सकेगी कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है या नहीं। आज मुझे अफसोस है कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार के वक्त हमारे विरोधी दल के नेता और सदस्यगण मौजूद नहीं हैं इस सदन में लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बिल के आने के पहले से अपने अन्दर यह व्यवस्था की थी। हमारे यहां सेन्ट्रल पार्लियामेंटरी

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बोर्ड की एक सब कमेटी बनी है और हमारे मन्त्रियों और दूसरे पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जो शिकायतें होती हैं, उनको वह सुनती है और सुनने के बाद उसी का नतीजा था जैसा कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कहा बहुत से केन्द्रीय मन्त्री, भूतपूर्व मन्त्री और मुख्य मन्त्रियों के विरुद्ध भी इन्क्वायरी कमीशन बैठा और उन्होंने जांच की और उनके खिलाफ जो आरोप थे वे सत्य पाये गये तो वे दन्डित भी किये गये। मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल में कुछ लूपहोल्स हैं, इसके अन्दर कुछ खामियां हैं जिनके लिये मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी यदि सम्भव हो तो उन खामियों को दूर करने की चेष्टा करें।

एक बात जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा--इसमें कोई पैनल क्लाज नहीं रखा गया है। अगर कोई आदमी अपने एसेट्स की घोषणा नहीं करता तो उसके लिये आप क्या करेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी के मस्तिष्क में यह है कि नैतिक आधार पर सभी अपनी सम्पत्ति की घोषणा कर देंगे और अगर कोई अपनी सम्पत्ति की घोषणा नहीं करेगा तो जनता खुद उनसे निपटेगी इसको वे सही समझते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की आज जो दिमागी हालत है, यह जरूरी है कि इस बिल के अन्दर इस तरह का कोई प्रोविजन रखा जाय कि अगर कोई आदमी सर्टेन लिमिटेड टाइम के अन्दर अपनी सम्पत्ति की घोषणा न करे तो उसके ऊपर जुर्माना किया जायेगा। इसके लिये आप जो भी टाइम लिमिट कर दें, एक माह, दो माह, तीन माह या साल भर के अन्दर अगर वह अपने एसेट्स की घोषणा नहीं करता है तो उसको दन्डित किया जाय।

दूसरी बात जो है उसके ऊपर तो मैं खंडों पर विचार के समय ही कुछ कहूंगा लेकिन इस विधेयक की परिभाषा बनाने वाले ने न मालूम किस तरह से इसको बनाया है कि २(२)के (८) में आभूषण की परिभाषा में लिखा दिया है—"आभूषण (जो अंगूठी, इयरिंग, चूड़ियां, बटन, कफ लिंक, घड़ी, घड़ी के फीते तथा इसी प्रकार की वस्तुओं से भिन्न हों, जिन्हें ऐसा व्यक्ति सामान्यतया प्रतिदिन पहनता हो।"

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अभी अखबारों में माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा कि जयपुर में एक राज घराने पर छापा पड़ा जिसमें एक अरब से अधिक कीमत के आभूषण मिले। यह सारा काला धन था। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें लूप होल्स इस तरह से हैं कि यह तो हर व्यक्ति के विचार पर अलग-अलग निर्भर करता है कि कौन गहना है जो रोज पहनने वाला है। मैं जानता हूं कि एक अधिकारी है जिनके विरुद्ध जांच चल रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि वहां प्लेटिनम मिला है जिसकी कीमत साढ़े ७ लाख रुपये है। अब आप सोचें कि अगर कोई आदमी अपनी अंगूठी में या और किसी गहने में प्लेटिनम लगा कर उसे रोज पहना करे तो फिर आप उसके ऊपर क्या कार्यवाही कर सकते हैं। इस तरह से इस परिभाषा में भ्रष्टाचार करने की गुंजायश रह जाती है। इसके जरिये लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान होने का खतरा है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक को पेश करते हुये माननीय मन्त्री जी की जानकारी में शायद यह बात न रही हो, लेकिन चूंकि एक चीज सामने आ गयी है इसलिये मेरा कहना है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस ओर भी जरूर ध्यान दें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे विरोधी दल में भी रहने का मौका मिला है इसलिये यह कहना कि विरोधी दल हमेशा चरित्र हनन के ख्याल से ही भ्रष्टाचार की बात करता है, सही नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वाकई सही बात होती है, आरोप सही होते हैं, ऐसे लोगों के लिये जरूरी हो जाता है कि उनके खिलाफ जो भी बात हो वह कही जाय। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि पहले विरोधी दल ने जांच की बात उठायी और उनको सजा भी दी गयी। इसलिये यह कहना कि केवल चरित्र हनन के लिये बात कही जाती है, ऐसा नहीं है। मनुष्य के स्वभाव में कुछ बुनियादी चीजें हैं। हमारे शास्त्र में भी कहा गया है--मनुष्य की तीन इच्छायें होती हैं, पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा।

[श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव]

मनुष्य पुत्र चाहते हैं, वित्त यानी धन चाहता है और यश भी चाहता है। यश चाहते हैं और उसके चलते धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। आज यह बिल लाये हैं तो ऐसी चीज नहीं है। जो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं वह सब जानते हैं कि जब से राज की कल्पना की गयी तब से इस पर चिन्तन किया गया हैं। प्लेटो के फिलासफर किंग की कल्पना के अनुसार राजा के पास धन नहीं होना चाहिये और सारी व्यवस्था राज्य की ओर से की जानी चाहये। इसके पीछे कारण था कि उस जमाने में प्लेटो जानता था कि जिसके हाथ में सत्ता होगी सम्भव है कि उसका भी दिमाग धन अर्जित करने की चेष्टा करे। सारी दुनिया का इतिहास गवाही है कि जापान के प्रधान मन्त्री ने अपने प्रधान मन्त्रित्व काल में अरबों रुपयों की सम्पत्ति अर्जित किया और जब उसका भंडा फोड़ हुआ तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पाकिस्तान में श्री अय्यूब ने डेढ़ अरब रुपये की सम्पत्ति अर्जित की और जब वे बाहर गये तो उनका भी भंडाफोड़ हुआ। इसलिये जिनके हाथ में सत्ता और अधिकार होता ह इस बात की बराबर सम्भावना बनी रहती है कि वह भी धन की ओर सत्ता के बहाने हथियाने की कोशिश न करें। इसलिये यह बिल उत्तम है।

हमारे मित्रों ने कहा कि १९५२ से यह लागू करें तो मेरा कहना है कि आप आजादी जब से आयी है उस समय से यदि लागू करें तो आपको पता चलेगा कि कितने ऐसे लोग जो मन्त्रिपद को छोड़ कर चले गये और जैसा कि ऊदल जी ने कहा कि खद्दर के कपड़े पहन कर चलें तो जगह-जगह और रेलों में भ्रष्टाचार की बातें सुनने को मिलती थीं। लेकिन इमरजेन्सी में बड़े-बड़े लोगों की जबानें अब बन्द हो गयी हैं। बस्ती के एक मित्र ने बताया कि हर विधायक या मन्त्री बेईमानी नहीं करता है। मैं जानता हूं कि जिनकी हालत विधायक या मन्त्री होने के बाद खराब हो गयी है। जो प्रैक्टिस करते थे और काफी उनकी आमदनी थी उनको अब १००० रुपया केवल रह गया है तो इससे उनकी हालत खराब हुई है। लेकिन विधायक हो गये कि हर आदमी समझता है कि वे खूब पैसा काटते हैं। इसलिये यह जो बिल लाया गया है उससे जीवन में जो गन्दगी आ गयी थी वह दूर हो जायेगी।

जैसा कि कहा गया है कि --'सीजर्स वाइफ बी एबव सस्पीशन' सीजर्स की पत्नी को सुबह से ऊपर रहना चाहिये। उसी प्रकार राजनीति के क्षेत्र में जो सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं कम से कम उनका चरित्र निश्चित रूप से असंदिग्ध होना चाहिये, यदि ऐसा नहीं है तो उसके लिये कड़े से कड़ा दन्ड दिया जाना चाहिये। यदि आपके हाथ में ताकत है और उनको दन्ड नहीं देते हैं तो उतने ही बड़े दन्ड के भागी आप भी होते हैं। इसलिये मुख्य मन्त्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करके जो मांग १० सालों से चली आ रही है उसको पूरा किया है। अत : मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

दूसरा विधेयक मुख्य मन्त्री जी को रखना है इसलिये अब इसको कल लेंगे। यदि आप (मुख्य मन्त्री से) अन्तिम जवाब देना चाहते हैं तो दे दें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ---

अध्यक्षजी, मैं बहुत अनुगृहीत हूं माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये। कुछ गलतफहमी या कुछ इस बिल के सम्बन्ध में आशंका या यों कहूं कि एक विचार ऐसा प्रदर्शित किया गया है कि राजनीतिज्ञों के सम्बन्ध में अगर ऐसा किया जा रहा है तो सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में क्यों नहीं किया जा रहा हैं। मान्यवर, उसका मूल कारण यह हें कि सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में कितनी प्रापर्टी उनके पास होती है और उस प्रापर्टी में कितनी बढ़ती या घटती होती है उसकी सूचना देने का प्राविधान गवर्नमेंट सर्विस रूल्स में आलरेडी है। अगर किसी को एक हजार

का मुनाफा हो शेयर से तो उसको लिखना पड़ता है कि इस साल इतना रुपया इस मद से बैंक में मेरे एकाउन्ट में जमा हुआ। अगर वह यह सूचना नहीं देता और हमें उसकी सूचना मिलती है, तो विजिलेंस द्वारा जितनी प्रापर्टी होनी चाहिये उससें ज्यादा पाई जाती है तो फिर उसमें डिसमिसल भी है और मुकदमा भी चलाया जा सकता है। एक कानून बना हुआ है प्रीवेन्शन आफ करप्शन ऐक्ट। सरकारी नौकर पहले से ही उसमें आया हुआ है इसलिये दुबारा इसमें लाने की आवश्यकता नहीं थी।

एक बात और कही गयी कि इस विधेयक में सभी प्रकार के राजनीतिक लोगों को ले आवें। बात तो अच्छी है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि कितने दिनों से यह मांग थी कि विधान सभा में मन्त्री अपने-अपने असेट्स दें। मैं भी इस विधान सभा का मेम्बर रहा और कई बार इसकी चर्चा होती थी और सरकार की तरफ से कहा जाता था कि यह जनहित में नहीं है। अब क्यों नहीं है? यह नहीं कि छिपाना चाहते थे। सच्ची बात यह है कि हम भी एक कठिन मार्ग पर चल रहे हैं। मैं हाउस को अंधेरे में नहीं रखना चाहता। यह बड़ा ही कंटकाकीर्ण मार्ग है। माननीय सदस्य यह न समझें कि वह केवल कागज का टुकड़ा ही रह जायगा। यह साधारण कानून नहीं है, हम इस कानून को असाधारण बना रहे हैं। मान लीजिये कोई सदस्य या मैं ही अपनी प्रापर्टी छिपा लेता हूं। यह कहा गया कि इसमें कोई सजा का प्राविधान नहीं है। सजा का प्राविधान कैसे होता है, मैं बताऊं। एक डिक्लेरेशन दिया कि इतनी प्रापर्टी है। अगर वह डिक्लेरेशन गलत है तो सेक्शन १९९ विलफुल सप्रेशन आफ ट्रुथ में तीन साल की कम से कम सजा है। माननीय सदस्य यह न समझें कि यह एक कागज का टुकड़ा है जिसे हम पेश कर रहे हैं, न ही आम जनता समझे कि कोई दूसरा इरादा है।

मुझे अफसोस है कि सब लोग जिन्होंने इस पर बोला नहीं है और कुछ लंच पर चले गये हैं, मुझे नहीं मालूम कि उनको कैसे मालूम होगा। एक माननीय सदस्या ने कहा कि सन् १९५२ से लागू किया जाय। सन् १९४७ से क्यों न किया जाय। सन् १९४७ में ही सरकार बन चुकी थी, मन्त्री हो चुके थे। कितने लोग हैं जो बराबर १९४७ से मन्त्री रहे हैं। फिर १९४७ और १९५२ का ही क्यों? गवर्नमेंट आफ इन्डिया ऐक्ट १९३५ में आया था और १९३७–३८ में सरकारें बनी थीं। तब से क्यों न लागू किया जाय। यह भी क्यों, ऐसा क्यों न किया जाय कि जब से जन्म इस मेम्बर का हुआ हो तब से लागू किया जाय। लेकिन नहीं, जब कोई भी काम शुरू होता है तो इतने मुर्दे नहीं उखाड़े जाते। माननीय सदस्या का यह भय था कि १९५२ से १९७५ तक २३ साल में बहुत गड़-बड़ी कर दी।

क्या मतलब इसका? मेरे साथ इस वातावरण में रहने वाले जो लोग स्टूडेन्ट्स मूवमेंट में साथ रहे, ट्रेड-यूनियन मूवमेंट में साथ रहे, मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में मेरे क्षेत्र में रहने वाले हैं, गांव और जिले में जो रहने वाले हैं, वह जान लेंगे कि कितना इसके पास था और कितना हो गया। जानने की बात तो यह है कि हमारे चारों तरफ जो लोग है, हमारे चारों तरफ जो आदमी हैं वह सब जान जायेंगे कि कल तक तो दो बार का खाना मुअस्सर न था, अब यह कोठी कहां से खड़ी हो गई? कल तक तो ५ ही बीघा जमीन थी, १५ बीघा कैसे हो गई। सब चीज जनता के सामने है औ रेवेन्यु रिकार्ड में है और वह चीज लोग निकाल सकते हैं कि हमारे पास यह जायदाद कहां से आ गई और अगर वह बात सामने जा जाती है तो जो लोक आयुक्त का बिल इस विधेयक के बाद आ रहा है, उस विधेयक में इस बात का प्राविधान है कि कोई भी आदमी हलफनामे पर किसी भी सदस्य की बात मालूम होने पर यह कह सकता है कि यहां के मुख्य मन्त्री की आज जो औकात है, इतना फैलाव है सम्पत्ति का, हम समझते हैं कि बेईमानी की है, तो वह तत्काल रेवेन्यू रिकार्ड से निकाल कर, म्युनिसिपल रिकार्ड से निकाल कर कि इनके नाम इतना है, इनके लड़के के नाम इतना है,

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

इनकी स्त्री के नाम इतना है, इनके बाप-दादा के नाम इतना है, वह पता लगा सकेगा। जो सम्पत्ति का ब्यौरा हमने दिया है, उससे मिलान किया जा सकेगा। जाहिर है कि हम लोक आयुक्त के सामने अपने को एक्सपोज कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी आई० पी० सी० का सेक्शन पढ़कर सुनाया, तो यह डिक्लरेशन बेस बन जायेगा उस कम्पलेन्ट का जो लोक आयुक्त के सामने भेजी जा सकती है।

इसलिये सन् १९५२ की बात नहीं है, कितनी पीढ़ी का पर्दा खुलेगा, ऐसा भी हुआ है। कांग्रेस हाई कमान्ड के सामने जब जांच हुई तो ३-३-पीढ़ी की बैंक की किताब ले जाकर दिखानी पड़ी है कि यह हमारे दादा का एकाउन्ट है और यह हमारे बाप का एकाउन्ट है और यह मेरा एकाउन्ट है। ऐसी स्थिति भी आई है जब कैरों साहब का जस्टिस दास ने केस किया तो उनके सामने ३-३- पीढ़ी के असेट्स, उनके पूर्वजों के सजरे बनाये गये। इसलिये माननीय सदस्या बड़ी शान्ति के साथ यह स्वीकार करके चलें कि इसमें सन् १९५२ या १९४७ की बात नहीं है, बल्कि जो लोग हैं वह भी और जो लोग नहीं है वह भी, इसमें आ गये हैं। लोक आयुक्त बिल में हमने ५ साल तक के पहले के लोगों के केस देखने का अधिकार दे रखा है क्योंकि हम तो समझ लेते हैं कि किस दृष्टिकोण से यह बात कही गई। इसलिये पहले से ही बचाव कर रखा है ताकि उनके दृष्टिकोट को चोट न पहुंचे। जिस तारीख से लोक आयुक्त बिल पास होगा उस तारीख से ५ वर्ष पहले तक के लोग चाहें वह मिनिस्टर रहे हों, चाहे एम० एल० ए० हों, उसमें वह सब लोग आ गये। इसलिये प्रापर्टी के डिक्लेरेशन के सिलसिले में पिछले पापों का परदा नहीं छिपा रह सकेगा। मैं आशा करता हूं कि आप सब समझ जायेंगे कि जब सन् १९४७ में बहुगुणा जी थे तो उनकी यह हैसियत थी और आज सन् १९७५ में यह हैसियत हो गई।

दूसरी बात यह है कि एक प्रश्न यह उठा कि कौन इसकी जांच करेगा कि जो असेट है वह ठीक है कि नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि मैंने इसमें जांच का प्राविधान नहीं रखा, जानबूझ कर नहीं रखा। वह तो लोक आयुक्त बिल में कवर्ड है। अगर किसी के असेट के खिलाफ किसी को कुछ कहना है तो लोक आयुक्त प्रापर फोरम है, मेरे पास या सेक्रेट्री के पास जाने की जरूरत नहीं है। उन्हीं को सीधे अर्जी दे दें और अगर हमारे पास अर्जी आवेगी तो मैं फाड़कर फेंक दूंगा। अब लोक आयुक्त के यहां जो काम हो सकता है जो लोक आयुक्त के सामने यह कह सकता है कि इनके असेट्स का जो डिक्लेरेशन है वह गैर-मुनासिब है। इसलिये इसमें किसी अथारिटी को जिसके पास पेनल पावर्स हों, इस तरह की अथारिटी देने का कोई सवाल नहीं है। एक शंका यह प्रकट की गयी कि कम्पलसरी नहीं है किसी माननीय सदस्य का देना। नहीं देगा तो सारा प्रदेश समझ जायगा कि यह बेचारा सही नहीं है। न देने पर मैं समझता हूं कि मामूली खतरा नहीं है। मैं मानता हूं कि अपने सार्वजनिक जीवन के मूल्यों को कायम रखने के लिये इस सदन में बैठे हुये जितने लोग हैं वे ऐसी भूल नहीं करेंगे। सख्त बीमार पड़ जाय कोई, उस समय देने की हालत में न हो और थोड़े दिन बाद दे दे या कहीं गाड़ी डिरेल हो जाय और वह न दे सके तो दूसरी बात है। जनरल क्लाजेज ऐक्ट में उसकी व्यवस्था है। लेकिन अगर बिलकुल न दे तो इस सदन को अधिकार है अपनी नियमावली में उसके लिये प्राविधान करे कि ऐसे सदस्यों के प्रति क्या वह करेगा जो इस सदन के द्वारा निर्मित नियमों के विरुद्ध आचरण करेंगे। इस सदन ने सीलिंग ला पास किया। कोई सदस्य उसका उल्लंघन करे तो यह सदन उसमें यह नहीं रखता कि जिसने उल्लंघन किया है उसे ६ महीने की सजा देगा या मेम्बरी खत्म कर देगा। इसका प्रश्न उसमें नहीं आता है। उस भय को रखने की जरूरत नहीं है।

एक बात कही गई अंगूठी के एक्सेप्शन के बारे में। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो अंगूठी मैंने पहन रखी है वह ५० रुपये की है। कोई कह दे कि इसमें दो लाख

रुपये का डायमन्ड जड़ा हुआ है। अब उसे तौल देना है। अगर वह संशोधन स्वीकार हो जाता है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह बात कही गयी कि जो मेम्बर सही न बताये उसकी मेम्बरशिप खत्म होनी चाहिये। मेरे ख्याल से लोक आयुक्त किसी को दन्डित कर दे और उसे जेल की सजा हो जाय तो अपने आप ही वह मर गया। फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी।

यह भी कहा गया कि बहुत लोग जमीन की चोरी कर रहे हैं। जिन्होंने चोरी जमीन की की होगी वह विवरण देंगे नहीं, तो वह मसला हो जायगा लोक आयुक्त के लिये। इस तरह से जमीन तो उनकी जायगी ही। इधर सीलिंग वाले भी दौड़ेंगे और उधर लोक आयुक्त भी देखता रहेगा। लिहाजा जमीन का विवरण देने में यह बात निहित है कि मेम्बर सचेत रहेंगे कि सच्चा विवरण ही दिया जाय। उसी में उनका कल्याण है वर्ना आई० पी० सी० की धारा और सीलिंग ऐक्ट की जो धारा है दोनों ही उस पर आयद होंगी।

ऊदल जी ने कहा कि सरकारी कर्मचारी बहुत से हैं जो सरकारी मकान लेकर रहते हैं लेकिन अपने मकान बड़े-बड़े किराये पर उठाए हुये हैं। यह बात सच है। मेरे पास लिस्ट भी है। बहुत दिनों से यह मामला इस सदन में उठ रहा है। मुझे याद पड़ता है कि सन् १९५९ में यह मामला उठा था और उस समय मैं भी इस सदन का सदस्य था। पर आजकल यह स्थिति भी गौरतलब है। जिस जिस मन्त्री के पास जो मकान किराये का था उसी में वह रह रहा है या जिसके पास अपना मकान था वह उसमें रह रहा है। जैसे एक्साइज मिनिस्टर उसी में रह रहे हैं और यह भी तय नहीं हुआ कि उनको कुछ रख रखाव के लिये मिलेगा या नहीं। एस० पी० सिंह साहब अपने मकान में रह रहे हैं। (व्यवधान) ठीक है मन्त्री की बात नही थी, मैं उदाहरण के लिये बतला रहा था कि मन्त्रिमन्डल स्तर पर भी ऐसा नहीं है। एक सज्जन ऐसे भी हैं जो मन्त्री थे। अपना मकान उन्होंने महानगर में बनवाया लेकिन स्वयं वह उसमें नहीं गये। और स्वयं वे उस मकान में नहीं गये। आज वे मन्त्री नहीं हैं, एम० एल० ए० भी नहीं हैं लेकिन हमारा मकान नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे मन्त्रियों के पास मकान नहीं हैं। हमारे मन्त्री कष्ट में हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं। तो यह एक अलग सवाल है। मुश्किल यह है कि किसी अफसर ने जो मकान किराये पर दिया हुआ है उसको हम आर्डर दे दें कि आप हट जाइये लेकिन उसको कैसे हटायेंगे जिसको उसने किराये पर दिया हुआ है। इतना हो सकता है कि जिसने एल० आई० सी० से या हम से मकान बनाने के लिये पैसा लिया है उसको किराये के मकान में नहीं रहना चाहिए। भविष्य के लिये तो हम कर सकते हैं लेकिन पुराने वालों के लिये मुश्किल पड़ सकती है। हमारे पास ऐसे ३२/४० लोगों की लम्बी लिस्ट है। उसमें हमारे भूतपूर्व मिनिस्टर्स भी हैं। उसमें हमको कठिनाई पड़ेगी। हम सरकारी मकान खाली नहीं करा पा रहे हैं। हम इतने संकोच में हैं और सोचते हैं कि कहीं यह न सोचा जाय कि राजनीतिक विरोध के कारण ऐसा किया गया है। वे आज सदन के मेम्बर भी नहीं हैं।

मान्यवर, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता लेकिन सन् १९६९ में मैं चुनाव हार गया, मेरा पैर टूटा हुआ था। मैं इलाहाबाद में था। मेरे पास थोड़े से वर्तन थे और बिस्तरा था। मैंने फौरन कहा कि उस मेरे सामान को दूसरे कमरे में कर दो और वह मकान तुरन्त खाली कर दो। इस माननीय सदन के सदस्य होने के नाते जो हमें स्थान मिला है उसी स्थान पर काबिज बने रहे तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हम अपील ही कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को सख्ती के साथ बाहर फेंकने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

मान्यवर, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी एसेट्स घटी भी है। आज भी वे इस माननीय सदन में बैठे हुए हैं और वे दो-ढाई हजार कमा रहे थे। उसको

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

छोड़कर वे आ गये और नियमानुसार विधान सभा के सदस्य होने के नाते जो वेतन उन्हें मिलता है, वही पाते हैं। यह तो त्याग का रास्ता है। इसमें गुंजाइश नहीं है। सच पूछिये तो जिसकी आमदनी घटी है, जिसने कुछ खोया है वही हम सब के आदर के पात्र हैं। एक माने में हम सभी ने किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ खोया है। इतने दिनों अगर वह खेती पर लगा रहता कोई दूसरा धन्धा करता तो इतना कमा ही लेता। आज एक एम० एल० ए० को साढ़े चार सौ रुपये और एक मिनिस्टर को एक हजार रुपये तनख्वाह मिलती है इतना मिलने पर भी अगर वह गड़बड़ न करे तो यह उसकी महानता है।

हमारे बहुत सारे विधायक ऐसे भी हैं जो बहुत गरीब हैं, साधारण लोग हैं जिन्होंने दारुलशफा में खिचड़ी पकाकर खायी है। इसको कौन देखेगा कि एक विधायक कैसे अपना जीवन बिताता है। बाहर से देखने के लिये तो उसे एक फर्स्ट-क्लास का पास मिल गया। सारे लोगों की नजर उस पर लगती है और उसी नजर को हटाने के लिये यह विधेयक लाया गया है ताकि लोग साफ समझ सकें कि हमारे पास न छिपाने के लिये है, न रखने के लिये कुछ है। मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश के राजनीतिक जीवन से मेरा बहुत घना और गहरा सम्बन्ध रहा है--एक छोटे कार्यकर्ता के नाते मन्डल में, अखिल भारतीय संगठन में, मजदूर यूनियन में, सहयोग के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रह कर तथा अलग रहकर मैंने देखा है और हम जानते हैं कि हमारे प्रदेश और देश का राजनीतिक जीवन कई अन्य देशों के मुकाबले इतना शुद्ध है कि उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। लेकिन अफसोस है कि रह-रह कर कालिख लगाने की कोशिश की गई। किसी आदमी को फिक्स कर दिया गया होता लेकिन सबके ऊपर कालिख लगाने की कोशिश की गयी है। इसलिये हम सबको यह संकल्प करना पड़ रहा है, सबको इस खटराग में पड़ना पड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि इस कार्य के द्वारा इस सदन की गौरव और गरिमा को हम ऊंचा करेंगे और राजनैतिक फ्रन्ट पर राजनैतिक अभियान में उत्तरोत्तर स्वच्छता लाने में सफल होंगे। जो पहले औरों को कहने का मौका मिलता था, तो पहले अपने प्रति बन्धन लगाकर हम सिद्ध करेंगे कि हमने पहले अपने ऊपर बन्धन लगाया है अतः हमें दूसरों से भी सफाई मांगने का हक है।

पहले सरकारी नौकर, सरकारी अफसर प्रायः कहा करते थे कि इनके नेता अपनी सम्पत्ति का कोई हिसाब-किताब नहीं देते हैं, लेकिन हमसे मांगा जाता है। अब उनके मुंह बन्द हो जायेंगे, वे अब कह नहीं पायेंगे। अब हमारा हिसाब उनके सामने रहेगा, जनता के सामने रहेगा, सर्वसाधारण के सामने एक खुली किताब रहेगी। ऐसा करने से राजनीतिक जीवन में एक नया विश्वास, नई शक्ति का उदय होगा, जिसका हल्के-हल्के प्रादुर्भाव हो रहा था। विरोधीदल के लोग और खास करके जनसंघ, भारतीय लोक दल और सोशलिस्ट पार्टी के कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके पास सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ था ही नहीं, उनको इस सदन में उसके सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं देता था--न उनको 'आर्यभट्ट' दीखता था, न बांगला-देश का उदय, न सिक्किम का विलय, न अणु शक्ति का अपने हाथ में आना, न हमारी फौजों की बहादुरी दिखाई देती थी, न एवरेस्ट, न यह दिखाई देता था कि गंगा के जल से कितनी बिजली बन सकती है, उनके लिये कुछ नहीं कह सकता हूं। उन्हें सब जगह भ्रष्टाचार ही दिखाई देता था।

एक बार एक सज्जन मुझसे चुनाव में मिले। उन्होंने मुझसे हंसकर कहा कि कांग्रेस के पास तो बहुत सी जीपें हैं। तो मैंने कहा आपके पास भी तो हैं, आप कौन सी लाये हैं। हम भी लाये हैं और आप भी लाये हैं। न आपके खानदान में बनती हैं न मेरे खानदान में, लेकिन चढ़ते सब हैं उस पर। सबकी पैट्रोल से चलती हैं। यह तो है नहीं कि आपकी पैट्रोल से चलती ह और हमारी पानी से चले। यह चरित्र हत्या की गन्दी राजनीति उन्होंने अख्तियार कर रखी थी, जो हिटलर ने इस्तेमाल की थी। इस सदन में इस विधेयक के द्वारा हम उस प्रवृत्ति की धार को गोठिल कर रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि क्लाज-

वाईज़ चर्चा के समय इसको और सुदृढ़, कम बुरा और ज्यादा अच्छा बनाने की हम सम्पूर्ण चेष्टा करेंगे और इसमें सम्पूर्ण सदन का सहयोग हमें मिलेगा। एक बार फिर मैं इस सदन का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस बिल को अपनी पूर्ण सहमति प्रदान की है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मन्त्री तथा विधायक (आस्तियों तथा दायित्वों का प्रकाशन) विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त विधेयक, १९७५†

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाये।

मान्यवर, पिछली विधान सभा के सत्र में सरकार की ओर से मैंने यह घोषणा की थी कि लोक आयुक्त की संस्था द्वारा राजनैतिक स्तर पर जिनके पास शासन शक्ति है या उसके जो अंग हैं उनके सम्बन्ध में यदि भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो उसको देखने के लिये लोक आयुक्त संस्था की हम जल्दी से जल्दी व्यवस्था करेंगे। अप्रैल में हमने वायदा किया करने का, लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पाये और मई के मध्य में आर्डीनेन्स हम कर पाये। कारण इसका यह था कि इस विधेयक के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से परामर्श लेने में हमें थोड़ा समय लग गया। इसीलिये आर्डीनेन्स करने में थोड़ी देर हुई। उसके बाद दुर्भाग्य से चूंकि उसमें व्यवस्था थी कि हम चीफ जस्टिस, स्पीकर और नेता विरोधी दल से सलाह करेंगे। और पैटर्न भी सारे देश का है, यद्यपि इस समय स्पीकर और लोगों ने नहीं रखा, पर हमने जानबूझ कर प्राविधान किया था। अब गृह मन्त्रालय ने कहा कि स्पीकर को क्यों इनवाल्व करते हैं। वह देखने की बात होगी। मैं पहले आर्डिनेन्स की बात कर रहा था। विरोधी दल के लोगों का ख्याल था, यह आपने देखा, कि हमारा शायद वचन पूरा करने का इरादा नहीं है; मुझे अफसोस है कि वह लोग आज नहीं हैं। यदि होते तो सामने चार बात हो जाती। लेकिन टु कीप दि रेकार्ड स्ट्रेट हमने एक दिन का भी विलम्ब नहीं किया। जैसे राष्ट्रपति की स्वीकृति हासिल हुई हमने उसका आर्डिनेन्स बना दिया। हमने फिर चीफ जस्टिस से परामर्श किया क्योंकि इस तरह के नाम पहले वही बता सकते हैं और उसके मुताबिक, उस आदमी की हैसियत चीफ जस्टिस के बराबर हो, चूंकि पूरा संगठन बन रहा है, परामर्श की जरूरत थी। इसलिये समय लगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि उस पर विचार करके दूंगा। उन्होंने नाम भेजे। उसके बाद लीडर आफ अपोजीशन पता नहीं जेल में बन्द हैं जिससे अब विचार विमर्श करने में कठिनाई पड़ रही है। कैसे करें, आप इसका भी रास्ता निकालेंगे। मेरी प्रार्थना है कि मान लीजिये, छ: महीने साल भर और न जाने कब तक अगर वह वहीं रहना पसन्द करें जहां हैं तो सलाह करने में मुश्किल हो जायगी। उसके लिये भी रास्ता बताना होगा ताकि उसमें भी देर न होने पाये। इसलिये लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं। ज्यादा बहस इसमें है नहीं।

(इस समय १ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

---

†२९ जुलाई, १९७५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

पहली बात यह है कि इन्डेपेन्डेंट एजेन्सी है। दूसरी बात यह है उसका जुडीशल स्टेट्स चीफ जस्टिस के बराबर है। तीसरी बात यह है कि उस पर जो आदमी नियुक्त हो जायगा उसको सरकार निकाल नहीं सकती है। अगर चाहती है कि उसको बदल दें तो उसकी भी एक प्रक्रिया होंगी, उस प्रक्रिया के अन्दर जाना होगा। अगर उसके सामने कोई शिकायत लाना चाहे तो यह नहीं है कि हमसे पहले इजाजत ले तब जाय। किसी पब्लिक सर्वेन्ट के खिलाफ हो तो उसमें मिनिस्टर से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। उसमें मुख्य सचिव भी सम्मिलित है। सिर्फ मुख्य मन्त्री उसमें नहीं है। उसका कारण है। केन्द्रीय सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुख्य मन्त्री के खिलाफ हम जांच लोक-पाल के सामने रखेंगे जिस विधेयक को केन्द्रीय सरकार बनायेगी। उसका कारण स्पष्ट यह है कि हमारे जरिये हमारी सलाह से कोई आदमी नियुक्त हो, उस आदमी से हमारी जांच कराना वाजिब बात नहीं होगी। संसद के अन्दर जो बिल मौजूद है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों के खिलाफ जो जांच होंगी उसको लोकपाल करेगा। लोकपाल के सामने भी सीधे जांच जा सकती है। हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी हलफनामा लगा कर सीधे चला जायगा। वह जा कर लोकपाल के सामने दे देगा। मुख्य मन्त्री को छोड़कर मन्त्री, सचिव, जिला परिषद् के अध्यक्ष आते हैं, और सब लोग आते हैं जिनका हमारे प्रदेश के राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक जीवन से घना सम्बन्ध है। झूठे परचे छापने वाले, और झूठ बोलने वालों की भी कोई सजा होनी चाहिये।

इस सदन के सदस्यों के पास चरित्र ही हमारी एक मात्र थाती है। अगर उस चरित्र की किसी भी सदस्य के हत्या हो जाती है, तो वह उसकी मौत के बराबर है। अगर चरित्र हत्या का झूठा प्रयास किया गया तो प्राविधान किया गया है कि उस आदमी के खिलाफ लोक आयुक्त मुकदमा चलायेगा और, जहां तक याद पड़ता है न्यूनतम तीन साल की सजा निर्धारित है। यह तय कर लिया गया है कि ऐसे आदमी पर फौरन मुकदमा चलाया जायगा। वह मेरे इशारे पर नहीं होगा। हमारे पास पावर नहीं रहेगी कि किसी के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाय या न चलाया जाय। झूठ अगर साबित हो जाती है तो फौरन आटोमेटिकली उस पर मुकदमा चलाया जायगा और उसको सजा मिलेगी।

इसलिय यह बात स्पष्ट है कि इस विधेयक के द्वारा हम जो प्राविधान कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के राजनैतिक जीवन में जो लोग बोलते थे कि जांच कराओ, तो हम वर्तमान जांच बैठा रहे हैं। उसके सामने साबित करो वरना जेल जाओ। मैं यह बता देना चाहता हूं कि इसमें ३ साल तक की सजा हो सकती है। सजा के बारे में हत्यारे को मालूम रहे। और हत्यारा है तो उसको मालूम रहे कि हत्या की सजा होगी। मान्यवर, इस पर सन्थानम कमेटी ने सिफारिश की थी। इसको बहुत पहले बन जाना चाहिये था। हमने एक कमी को पूरा किया है और एक ऐसा फोरम दे दिया है कि चले जाओ लोक आयुक्त के पास, हमारे पास क्यों बोल रहे हो। तो यह सदन और उसकी गरिमा बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय प्रेमदत्त जी आप बोलना चाहते हैं?

*श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)—

जी हां। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बताया, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, लेकिन इस सम्बन्ध में मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। जैसा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्वयं कहा है, हमारे दल के बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो बहुत ही गरीब हैं और मुझे आशंका है कि कहीं ऐसा न हो जाये कि बड़े-बड़े लोग इसका फायदा उठाये। मान लीजिये कि चुनाव का समय आया और उन्होंने किसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साधारण आदमी के हलफनामा लगवा दिया और ऐसी गड़बड़ी चुनाव के पहले की जा सकती है ? और उसके खिलाफ प्रचार हो गया कि उसके खिलाफ लोक आयुक्त में मुकदमा चल रहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई ऐसी व्यवस्था की जाये कि समय की पाबन्दी हो कि ५-६ महीने के अन्दर इसका फैसला अवश्य हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य खड़े हुए हैं वह बैठने का कष्ट करें।

श्री प्रेम दत्त--

तो मान्यवर, इसका लिगरिंग प्रोसेस नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य इधर पीठ कर बातें कर रहे हैं, कृपया ठीक से बैठने का कष्ट करें।

श्री प्रेम दत्त--

मेरा पहला निवेदन यह है कि इसमें ऐसी व्यवस्था की जाय कि समरी ट्रायल की तरह से इसमें कोई सीमा रखी जाय ताकि वर्षों-वर्षों तक यह न चले ताकि जिसके विरुद्ध मामला हो, उसे मानसिक क्लेश न रहे। इसमें चूंकि बड़े लोग ईमानदार आदमी के खिलाफ भी पड़ सकते हैं तो जो हलफनामा भरें, उससे कुछ सिक्योरिटी भी जमा करा ली जाय ताकि उसने उस मुकदमें की पैरवी करने पर जो कर्जा लेकर रुपया लगाया है, वह उसको मिल सके। वह गरीब अपने मुकदमे की पैसे के अभाव में ठीक से पैरवी भी नहीं कर सकेगा।

अत : मेरी प्रार्थना है कि इस विधेयक में ये २-३ संशोधन कर दिये जायं जो बहुत ही आवश्यक हैं वैसे इस बिल की जो स्प्रिट है, मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई विरोध नहीं है। इसे तो बहुत पहले ही ले आना चाहिये था लेकिन अब लाया जा रहा है फिर भी मैं इस बिल के लाने के लिये माननीय मुख्य मन्त्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

*श्री बाल कृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक का जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया हैं, मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, समय-समय पर इसकी चर्चा सामने आई कि अमुक-अमुक भ्रष्ट है, अमुक अधिकारी ने यह किया और अमुक-अमुक जन-प्रतिनिधि ने यह काम किया। सदन के अतिरिक्त अखबारों में भी ये बातें देखने को मिलीं परन्तु अभी तक कोई माध्यम ऐसा नहीं था जिसके द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सके। सदन के अधिकतर विरोध-पक्ष के लोगों द्वारा सत्ता पक्ष के लोगों पर अक्सर ये आरोप लगाया करते थे कि जिस समय वे मन्त्री थे, उन्होंने यह गलत काम किया इतना धन संचय कर लिया। अभी तक उनको एक सुरक्षा थी कि जो बात अनुत्तरदायित्वपूर्ण भी वे कहते थे, उनके लिये दण्ड की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब इस विधेयक के आने पर कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति पर जिनका जिक्र इस बिल में किया गया है के विरुद्ध लोक पाल आयुक्त के पास जा कर याचना कर सकता है कि उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

इसमें साथ ही साथ यह भी प्राविधान है कि यदि उसकी दरख्वास्त गलत साबित होती है, झूटा आरोप साबित होता है तो वह भी दण्ड का भागी हो सकता है। जिस प्रकार से गलत रिपोर्ट देने पर कोई अधिकारी गलत रिपोर्ट देने वाले के विरुद्ध कार्य-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाल कृष्ण सनवाल]

वाही कर सकता है। यह तो उस उच्च अधिकारी पर निर्भर करता है लेकिन इसमें यह प्राविधान किया गया है कि वास्तविक रूप से उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। तो इस विधेयक के लाने से जहां सार्वजनिक जीवन में पवित्रता आयेगी ऐसे लांक्षन लगाने का मौका भी लोगों को नहीं रहेगा जिनके लिये उनका कोई उत्तरदायित्व न हो। इससे प्रदेश का राजनीतिक जीवन स्वस्थ होगा, साथ ही अनर्गल प्रचार का मुंह बन्द होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विल की भावना का समर्थन करता हूं।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन में और बाहर भी सबसे पहले मैं स्वयं भी इस तरह के प्रयासों का खुद भुक्तभोगी हूं। जो कोई अपराध किसी ने नहीं किया है, उस पर बरबस नोटिस देकर, पर्चे छपाकर, बयान देकर और पता नहीं कैसे इसकी परिधि में आयेगा, वह शायद नहीं आयेगा, विधान सभा में खड़े होकर के इस तरह की अनर्गल और बेबुनियाद बातें कही जाती रही हैं जिससे जनता में यह भ्रम फैलता रहा है और राजनीति ऐज सच से एक नफरत पैदा होती रही है। मान्यवर, कोई भी देश जो निर्माण की स्थिति में हो, उस देश के रहने वाले लोगों को उस देश के शासनतन्त्र और राजनीतिक व्यवस्था से ही नफरत हो जाय तो हम लाख प्रयास करें, लम्बी-लम्बी योजनायें बनायें अपना वांछित फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

आपको स्मरण होगा, मैंने एक बार कहा था और आज इतिहास का पन्ना फिर दोहराना चाहता हूं कि १८५७ के विद्रोह में इस देश के बहादुरों ने बड़ी कुर्बानी की लेकिन इतिहासकार कबूल करते हैं कि जनता में एक मंथरावादी प्रवृत्ति फैली हुई थी कि "कोऊ नृप होय हमें का हानी, चेरी छोड़ हम होब न रानी" और फलत: हमारे उन बहादुरों को पराजय का मुंह देखना पडा। बर खिलाफ इसके, १९४२ की क्रांन्ति जिसके चलते इस देश में जनतन्त्र का अभ्युदय हुआ उसके नेता स्वर्गीय बापू और उनकी सेना की तरफ दृष्टिपात करें, उनके हथियारों की तरफ दृष्टिपात करें तो आपको क्या, सारे विश्व को मानना पड़ा कि उस क्रान्ति की सफलता का मुख्य कारण यह था कि जनता में मंथरा प्रवृत्ति नहीं थी। उसी के लिये यह चरित्र-हनन की राजनीति चलायी गयी। मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि इसको जन्म देने वाले सबसे पहले फिलासफर नीत्शे साहब थे जिनके विचार को लेकर जरमनी में हिटलर ने नाजीवाद की स्थापना की। जरमनी की पराजय के कारणों को बताते हुये हिटलर ने कहा था कि इस देश में बसने वाले कुछ लोग हैं जिनकी वजह से जरमनी हार गया और यहूदियों को उसने अपनी उस नफरत की राजनीति का शिकार बनाया। उसी इतिहास को इस देश में दोहराने की चेष्टा की जा रही थी।

इस सदन में भी उस राजनीति के जो देश के माने हुए चैम्पियन थे, जिनके सम्बन्ध में इस देश के लोग ही नहीं बल्कि बिदेशों के लोग भी मानते हैं कि उस राजनीति के वह सबसे बड़े महारथी थे वह इस सदन में विरोधी दल के नेता थे। मुझे स्मरण है कि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी, वह ए० आर० टी ओ० हैं या कुछ हैं, सम मिश्रा उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी के बारे में उनको एक सूचना दी। उस सूचना के आधार पर चौधरी साहब ने बड़ी चतुराई से खुद तो कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा लेकिन अपना काम सौंप दिया अपने लेफ्टिनेन्ट मेरट के नौजवान साथी को। और आज सभी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब मैंने उसका विधवत् उत्तर देना प्रारम्भ किया तो चौधरी साहब ने शारीरिक अस्वथता का बहाना लेकर इस सदन का परित्याग कर दिया और इस सदन के वह माननीय सदस्य जो मेरठ से तशरीफ लाते हैं जानते हैं। कौन नहीं जानता है कि अपने मुख्य मन्त्रित्व काल में साकेत में एक बिल्डिग बनायी और १८०० रुपये महीने पर इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को किराये पर दिया है। एक जमाने में इस प्रदेश में केवल चार शुगरकेन इन्सपेक्टर्स थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन्सपेक्टर लफ्ज से आपको भ्रम नहीं होना चाहिये। आप समझते होंगे कि शायद वह मामूली इन्सपेक्टर होता होगा। शुगर केन इन्सपेक्टर का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है।

मैं तो एक ऐसे जिले से आता हूं जहां गन्ना पैदा होता है और लगभग ६ करोड़ मन गन्ना प्रति वर्ष हमारी मिलों में पेरा जाता है। शुगरकेन इन्सपेक्टर्स को सरकार ने इसलिये नियुक्त किया था कि वह वे ब्रिज को देखें कि कम तौल तो नहीं हो रही है, वे ब्रिज तक जाने वाली सड़कें पक्की हैं या नहीं, गन्ना सप्लाई कानून का कहां पर हनन हो रहा है। यह सब देखना उनका काम है। लेकिन मैं बाअदब अर्ज करना चाहता हूं कि उनका एक ही काम होता कि किसानों की गाड़ियों को कम तौला कर पैसा इक्ट्ठा किया जाय। लाखों रुपये की आमदनी एक सीजन में करना शुगर केन इन्सपेक्टर्स का काम होता है।

जनाब नेता विरोधी दल ने अपने परिवार के दो सदस्यों को, एक मिस्टर वर्मा जो उनके दामाद हैं, और दूसरे मिस्टर मान सिंह जो उनके भाई हैं उनको शुगर केन इंस्पेक्टर नियुक्त किया। लेकिन जब कभी वह बोलने खड़े होते थे तो आस्तीन चढ़ाते हुए, लगता था कि इधर बैठने वाले सब भ्रष्ट हैं। यह इम्प्रेशन वह सारे प्रदेश को देना चाहते थे। जब कभी मेहनत करके इस विषय पर सदन में बोलता था तो मुझे कष्ट होता था कि प्रातःकाल के अखबारों में केवल भ्रष्टाचार की बात जरूर छपनी है। समाचार-पत्रों को भी केवल ऐसे ही समाचारों को छापने में दिलचस्पी होती थी। हमारे रचनात्मक सुझावो की तरफ दृष्टिपात करने का कष्ट उन्होंने कभी नहीं किया। देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनियां में यह तस्वीर पेश की जाती थी कि कांग्रेस पार्टी, जिसकी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं, वह भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। तो मन्थरा वादी प्रवत्ति पैदा करने के लिये जनता में चरित्र हनन की राजनीति इस देश में चलायी जा रही थी। और चरित्र हनन की राजनीति को दफनाने के लिये तथा उसे सदा के लिये समाप्त करने के लिये ही आज सदन में ये दो बिल पेश किये गये। ये ऐतिहासिक बिल हैं। देश और विदेश के लोगों ने यहां के राजनेंतिक लोगो से मिल कर जो एक साजिस रची थी वह नाकामयाब हो गयी। वे इस कोशिस में लगे थे कि जनता को कांग्रेस से अलग कर दिया जाय। उनकी यह मनोकामना पूर्ण नहीं होने पायी। चुनाव में जब इनका (विरोध पक्ष का) आदमी जीतता था तो बैलेट बाक्स ठीक होते थे, गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं होती थी, जब कांग्रेस का आदमी जीतता था तो उनको बैलेट बाक्स फर्जी दिखाई देते थे। काउन्टिग में गलतियां दिखलाई देती थीं। ये लोग बैलेट बाक्स को जाल-बट्ठे का बाक्स बताते थे।

मान्यवर, आज जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे थे उसमें परेशानी मुझे भी हो रही थी। आज जो गरीब लोग अपना छाता या जूता आदि लेकर बम्बई जाते थे और ६ माह अपना रोजगार करके, रोजी कमाकर वापस आते थे, कानपुर से लखनऊ के बीच ट्रेन रोक कर उन्हें लूट लिया जाता था। मैं सोचने लग गया था कि देश का भविष्य किधर जा रहा है, मेरा मतलब विद्यार्थियों से है, वे किस ओर जा रहे हैं। ऐसी हालत में जनतन्त्र की जड़ों को मजबूत करने के लिये हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी के नेतृत्व काल में जो प्रयास हुये हैं और हमारा दल जो प्रयास कर रहा है उसका हम हृदय से अभिनन्दन करते हैं, इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि खंडों पर विचार करते समय जिन माननीय सदस्यों ने कुछ भ्रम प्रकट किया है, कम से कम मुझे कोई भ्रम नहीं है, उस पर विचार करने की कृपा करें। मैं यह मानता हूं कि एक अच्छी दिशा में यह एक पुनीत संकल्प ह, यदि कहीं कोई कमी बाद में नजर आयेगी, अनुभव के आधार पर, तो उसे दूर किया जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पुन : पुन : समर्थन करता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

अध्यक्ष जी, जो भी विचार माननीय सदस्यों ने व्यक्त किये हैं, सभी ने इस विधेयक का समर्थन किया है। उसके लिये मैं उनका ऋणी हूं। माननीय रामायण राय जी ने बहुत सी बातों को उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया है। हम चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, या हमारा राजनीतिक जीवन आइने की तरह साफ रहे। उसी के लिये इस विधेयक में चेष्टा की गयी है। मान्यवर, कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि खंडों पर वह अपनी राय मश्विरा देना चाहते हैं। मेरी राय है कि कल का जो कार्य-क्रम है उसमें अगर मान्यवर की आज्ञा हो तो खंडवार चर्चा इस विधेयक पर भी कल हो जायगी। इसी के साथ मैं सदन के माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, १९७५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा है कि खंडों पर विचार कल किया जाय, तो आज इसको स्थगित किया जाय? (किसी के आपत्ति न करने पर) अब हम उठते है कल ११ बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन १ बजकर ५० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
३० जुलाई, १९७५।

नत्थी "क"

(देखिये पीछे पृष्ठ २०९ पर)

उत्तर प्रदेश इन्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७४

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

यू० पी० इण्डियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षित नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९३९ की धारा २ का संशोधन

२—यू० पी० इण्डियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में, खंड (४) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(४-क)—'अनु चिकित्सीय पाठ्यक्रम' का तात्पर्य आयुर्वेदिक अथवा यूनानी-तिब्बी चिकित्सा पद्धति और शल्यकर्म में कम्पाउण्डरों, नर्सों तथा धात्रियों के प्रशिक्षण के लिये बोर्ड द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम से है ;"

धारा ५ का संशोधन

३—मूल अधिनियम को धारा ५ में, उपधारा (१) में—

(क) खण्ड (३) से खण्ड (५) तक के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात् —

"(३) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय से जिसमें आयुर्वेदिक या यूनानी-तिब्बी चिकित्सा पद्धति से सम्बन्धित संकाय हो, एक-एक सदस्य जिन्हें विहित रीति से ऐसे संकाय द्वारा निर्वाचित किया जायगा ;

(४) उत्तर प्रदेश की आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य जो विहित रीति से, ऐसी संस्थाओं के, जो उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, अध्यापकों, द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे ;

(५) उत्तर प्रदेश की यूनानी शिक्षा संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य जो विहित रीति से, ऐसी संस्थाओं के, जो उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, अध्यापकों द्वारा, निर्वाचित किया जायगा ;

धारा ३६ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ३६ में,—

(क) खण्ड (२) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(२) अनु चिकित्सीय पाठ्यक्रम में शिक्षण देने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों को संकाय की सिफारिश पर मान्यता प्रदान करना, उनकी मान्यता निलम्बित करना या वापस लेना ;

(ख) खण्ड (४) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् —

"(४) बोर्ड की परीक्षाओं में सफल हुए अभ्यर्थियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना ;

(ग) खण्ड (७) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(७) आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति और शल्यकर्म के विकास के लिये ऐसे अन्य कृत्य करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत हों ;"

(घ) खण्ड (९) निकाल दिया जाय।

धारा ३६-क का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ३६-क में—

(क) उपधारा (१) में, खण्ड (४) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(४) निदेशक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी सेवा, उत्तर प्रदेश।"

(ख) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् —

"(४) उपधारा (१) के खंड (३) में निर्दिष्ट सदस्य बोर्ड का सदस्य न रह जाने पर संकाय का सदस्य न रह जायगा।"

धारा ३६-ख का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ३६-ख को पुन : संख्यांकित करके उसकी उपधारा (१) कर दिया जाय, और—

(क) इस प्रकार पुन:संख्यांकित उपधारा (१) में—

(१) खण्ड (क) से खण्ड (ग) तक के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात् —

"(क) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों में शिक्षण देने के लिये आयुर्वेदिक तथा यूनानी-तिब्बी चिकित्सा पद्धतियों के अध्ययन का पाठ्यक्रम विहित करना;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की परीक्षायें लेना जिन्होंने बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रशिक्षण केन्द्र में पाठ्यक्रम पूरा किया हो ;

(ग) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा किये गये आवासिक तथा अनुशासनिक प्रबन्धों का सामान्य पर्यवेक्षण करना और उनके छात्रों के स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिये प्रबन्ध करना ;"

(२) खण्ड (ङ) तथा (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात् —

"(ङ) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण कराना; और

(च) प्रशिक्षण केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने या मान्यता को निलम्बित करने या वापस लेने के लिये बोर्ड से सिफारिशें करना।"

(३) खण्ड (छ) निकाल दिया जाय; और

(ख) इस प्रकार पुन : संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् —

"(२) रजिस्ट्रार संकाय के सचिव के रूप में कार्य करेगा।"

धारा ३६-ग का संशोधन

७––मूल अधिनियम की धारा ३६-ग के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् ––

"३६-ग––धारा ३६-ख में निर्दिष्ट किसी विषय पर संकाय तथा बोर्ड के बीच मतभेद होने की दशा में बोर्ड उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगा और राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।"

धारा ३७ का संशोधन

८––मूल अधिनियम की धारा ३७ में, खण्ड (१) के स्थान पर निम्नलिखित खन्ड रख दिया जाय, अर्थात् ––

"(१) (क) वे शर्तें जिन पर संस्थाओं को धारा २८ के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिये मान्यता प्रदान की जा सकेगी ;

(ख) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों का प्रवेश ;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन प्रशिक्षणार्थी डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र सम्बन्धी पाठ्यक्रमों में और बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेशित किये जायेंगे तथा ऐसे डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र दिये जाने के पात्र होंगे;

(घ) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणार्थियों के आवास की शर्तें और ऐसे आवास के लिये फीस उद्गृहीत करना ;

(ङ) बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों के अध्यापकों की संख्या, अर्हतायें तथा उपलब्धियां;

(च) ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों में पाठ्यक्रमों के लिये तथा बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश करने तथा डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्र के प्रदत्त करने के लिये ली जाने वाली फीस; और

(छ) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें तथा ढंग, और उनके कर्त्तव्य तथा परीक्षा का संचालन :

प्रतिबन्ध यह है कि विनियम बनाते समय बोर्ड सामान्यतया प्रशिक्षण केन्द्रों की वित्तीय तथा अन्य विद्यमान दशाओं का ध्यान रखेगा ;

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उपखण्ड (क) से (छ) तक के किसी भी उपखन्ड के अधीन कोई विनियम, उस सिफारिश पर ही बनाया जायेगा जो संकाय द्वारा ऐसी रीति से की जायगी जिसे विहित किया जाय, अन्यथा नहीं।"

धारा ४० का प्रतिस्थापन

९––मूल अधिनियम की धारा ४० के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् ––

कतिपय नियुक्तियों का वैद्यों और हकीमों के लिए आरक्षण

"४०––राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति के सिवाय किसी ऐसे वैद्य या हकीम से जो बोर्ड से सम्बद्ध किसी संस्था से अर्हता प्राप्त हो या जिसके पास उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त, आयुर्वेदिक या यूनानी-तिब्बी चिकित्सा-पद्धति में, उपाधि हो और जो इस राज्य का अधिवासित निवासी हो, भिन्न कोई व्यक्ति किसी ऐसे आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सालय, रुग्णावास, औषधालय या प्रसवाश्रम में, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित या

उसके नियन्त्रणाधीन हो, किसी स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सक या अन्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिये सक्षम न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वैद्य तथा हकीम जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक को राज्य सरकार या ऊपर निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी के सेवा योजन में हो, उक्त पदों पर बने रहेंगे।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० इण्डियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ के अधीन गठित आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड आयुर्वेदिक या यूनानी शिक्षा संस्थाओं को मान्यता या सम्बद्धता प्रदान करने, तथा उनकी मान्यता या सम्बद्धता निलम्बित करने और वापस लेने के लिये सशक्त था। कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३,१९६५) के अधीन स्थापित कानपुर विश्वविद्यालय को, १९७१ में, ऐसी संस्थाओं को मान्यता तथा सम्बद्धता प्रदान करने या वापस लेने की शक्ति प्रदान की गई। किन्तु इस बात के होते हुये भी, बोर्ड ने आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति में शिक्षण देने वाली शिक्षा संस्थाओं को सम्बद्धता तथा मान्यता प्रदान करना जारी रखा है। अतएव यह प्रस्थापित है कि ऐसी संस्थाओं को मान्यता या सम्बद्धता प्रदान करने या उसे वापस लेने की शक्ति विश्वविद्यालय के पास रहे तथा बोर्ड केवल अनुचिकित्सकीय पाठ्यक्रमों में शिक्षण देने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों को ही मान्यता प्रदान करे, उनकी मान्यता निलम्बित करे या वापस ले।

इस अवसर का लाभ यू० पी० इण्डियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ में कुछ अन्य छोटे-मोटे संशोधन करने के लिये भी उठाया जा रहा है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७४ पुर:स्थापित किया जाता है।

सालिगराम जायसवाल,
स्वास्थ्य मन्त्री।

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ २०९ पर)

उत्तर प्रदेश सड़क-पार्श्व-भूमि नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, १९७५

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

संयुक्त प्रान्त सड़क-पार्श्व-भूमि नियन्त्रण अधिनियम, १९४५ का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सड़क-पार्श्व-भूमि नियन्त्रण (संशोधन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या १०, १९४५ की धारा ३ का संशोधन

२—संयुक्त प्रान्त सड़क-पार्श्व-भूमि नियन्त्रण अधिनियम, १९४५ की धारा ३ में, उपधारा (७) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जाय, अर्थात् —

"(७) सरकारी गजट में प्रकाशित कोई विज्ञप्ति जिसे उपधारा (१) के अधीन किया जाना तात्पर्यित हो, इस बात का निश्चायक सबूत होगी कि ऐसी विज्ञप्ति में दी गई घोषणा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्यक रूप से की गई है, और जब तक कि ऐसी घोषणा वापस न ली जाय, तब तक वह क्षेत्र जिसके सम्बन्ध में वह है एक नियन्त्रित क्षेत्र है।"

उद्देश्य और कारण

संयुक्त प्रान्त सड़क पार्श्व-भूमि नियन्त्रण अधिनियम, १९४५ के उपबन्धों के उल्लंघन के लिये चलाये जाने वाले अभियानों में धारा ३ की उपधारा (२) से (६) के अधीन की गयी सभी कार्यवाहियों के बारे में अक्सर सबूत देना होता है, जैसा कि खुड़ बुड़ बनाम स्टेट (१९६९) १/आई०एल०आर० इलाहाबाद ६६९ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा विनिश्चय किया गया है। समय व्यतीत होने पर इसमें कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। अतएव, धारा ३ की उपधारा (७) को पूर्वकालिक प्रभाव से संशोधित करने की प्रस्थापना है जिससे कि यह उपबन्ध हो जाये कि सरकारी गजट में उपधारा (१) के अधीन घोषणा की विज्ञप्ति इस बात का निश्चयात्मक सबूत होगी कि घोषणा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्यक् रूप से की गई है।

तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

शिव प्रसाद सिंह,
सार्वजनिक निर्माण मन्त्री।

सत्यी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ २०९ पर)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७५

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९७२ का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ७, १९७२ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९७२, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा २ की उपधारा (१) में, शब्द "तीन वर्ष और छः मास की अवधि के लिए" के स्थान पर शब्द तथा अंक "३१ दिसम्बर, १९७६ तक" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं और खन्ड (ग) में शब्द "किसी अधिकारी को" के उपरान्त शब्द "अथवा किसी ऐसी समिति को जो तदर्थ संघटित की जाय" रख दिये जायं।

वैधीकरण

३—शंकाओं के निराकरण के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि दिनांक ५ मई, १९७५ के पूर्व (जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है) मूल अधिनियम की धारा २ में उल्लिखित तीन वर्ष और छ : मास की अवधि की समाप्ति (जिसे आगे उक्त समाप्ति कहा गया है) के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, १९६४ (जिसे आगे १९६४ का अधिनियम कहा गया है) के अधीन किसी मण्डी क्षेत्र के लिये किसी मण्डी समिति के सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा मूल अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों के प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग में या अपने कृत्यों के निर्वहन या तात्पर्यित निर्वहन में उक्त समाप्ति के पश्चात् किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही या दिया गया कोई आदेश, जिसके अन्तर्गत उद्गृहीत किया गया कोई कर या वसूल की गई फीस भी है, उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी होगा मानों वह विधि के अनुसार किया गया, की गई, दिया गया, उद्गृहीत किया गया या वसूल की गई हो :

प्रतिबन्ध यह है कि १९६४ के अधिनियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन से या उनके अनुपालन में चूक से कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिये दोषी न होगा यदि ऐसा उल्लंघन या चूक उक्त समिति के पश्चात् और उक्त दिनांक के पूर्व हुई हो।

निरसन

४—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्प कालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९७५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ९, १९७५

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९७२ के उपबन्धों के अधीन कृषि उत्पादन मण्डी समितियों की शक्ति, कृत्य और कर्त्तव्य दिनांक ३० अक्तूबर, १९७१ से साढ़े तीन वर्ष की अवधि के लिये था। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, १९६४ की धारा १३ के अधीन निर्वाचित मन्डी समितियों का गठन होने तक, जो भी पहले हो, जिला मजिस्ट्रेट में निहित थे। उक्त अवधि के भीतर उक्त समितियों का निर्वाचन करना सम्भव न हो सका, इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि उक्त अवधि को ३१ दिसम्बर, १९७६ तक और बढ़ा दिया जाय।

२—१९७२ के उपर्युक्त अधिनियम में जिला मजिस्ट्रेट को यह प्राधिकार था कि वे उक्त अधिनियम के अधीन अपनी शक्ति द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकते हैं। यह आवश्यक समझा गया कि जिला मजिस्ट्रेट को यह भी प्राधिकार दिया जाय कि वे ऐसी शक्ति तदर्थ गठित किसी समिति को प्रतिनिहित कर सकें।

३—चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था इसलिये उपर्युक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकाकि व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९७५ प्रख्यापित किया गया था।

४—यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुर:स्थापित किया जाता है।

वीरेन्द्र वर्मा,
कृषि मन्त्री।

परिशिष्ट 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २१२ पर)

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९७५

कुछ लाभप्रद पदों को धारण करने के आधार पर स्थानीय निकायों की सदस्यता के लिये अनर्हता के निवारण की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९७५ कहलायेगा।

स्थानीय निकायों की सदस्यता के लिये अनर्हता का निवारण

२—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९; यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट; १९१६, संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, १९१४; उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१, यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ अथवा स्थानीय निकाय के गठन से सम्बन्धित किसी भी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९७१ की धारा ३ में विनिर्दिष्ट कोई पद, जहां तक कि वह सरकार के अधीन या दान से अथवा निस्तारण में लाभ का पद या स्थान है, उसके धारक को किसी स्थानीय निकाय का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये न तो अनर्ह करेगा और न कभी भी अनर्ह किया गया समझा जायगा।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९७१ की धारा ३ के अनुसार भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत लाभप्रद पदों के कतिपय धारक राज्य विधान मण्डल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये न तो अनर्ह रहेंगे और न कभी उन्हें अनर्ह किया गया समझा जायगा। परन्तु उन्हीं पदों के धारक, जैसे होमगार्ड, यद्यपि वह विधान मन्डल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह नहीं हैं, वे स्थानीय निकायों की सदस्यता के लिये अनर्हता से मुक्त नहीं हैं। इस विरोधाभास को दूर करने का प्रस्ताव है। यह विधेयक तदनुसार पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
संसदीय कार्य मन्त्री।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २१२ पर)

उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, १९७५

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० ई०; उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६; कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६०; जौनसार-बावर जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६; यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ तथा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम, बनाया जाता है :—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम १९७५ कहलायेगा।

अध्याय २

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१ ई० की धारा ३ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५०; जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ३ में, खन्ड (२५) में शब्द "गजट में प्रकाशित" के स्थान पर शब्द "नियत रीति से प्रकाशित" रख दिये जायं।

धारा ११७ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ११७ में, जहां कहीं भी शब्द "गजट में विज्ञप्ति द्वारा" आये हों, उन के स्थान पर शब्द "सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जिसे नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा," रख दिये जायं।

धारा ११७-क का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ११७-क में, उपधारा (१) में,—

(क) शब्द "गजट में विज्ञप्ति द्वारा" के स्थान पर शब्द "सामान्य या विशेष आदेश द्वारा जिसे नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा," रख दिये जायं;

(ख) शब्द "विज्ञप्ति में निर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "ऐसे आदेश में निर्दिष्ट" रख दिये जायं।

धारा ११९ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ११९ में, शब्द "गजट में विज्ञप्ति द्वारा" के स्थान पर शब्द "सामान्य या विशेष आदेश द्वारा जिसे नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा" रख दिये जायं।

धारा १२२-ख का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा १२२-ख में, उपधारा (२), (३) तथा (४) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायं, अर्थात्—

"(२) जहां भूमि प्रबन्धक समिति अथवा स्थानिक अधिकारिकी क्षति पहुंचाये जाने अथवा दुर्विनियोजन किये जाने के दिनांक से या,

यथास्थिति, दोषपूर्ण अध्यासन के दिनांक से दो मास के भीतर उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही न करे, तो कलेक्टर उपधारा (३) से (४-घ) के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(३) जहां कलेक्टर की यह राय हो कि उपधारा (१) में अभिदिष्ट किसी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई गई है अथवा उसका दुर्विनियोजन किया गया है, या उक्त उपधारा में अभिदिष्ट कोई भूमि इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में, किसी व्यक्ति के अध्यासन में है वहां वह सम्बद्ध व्यक्ति को यह कारण बताने के लिये कि क्षति अथवा दुर्विनियोजन के लिये ऐसा प्रतिकर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो, उससे क्यों न वसूल किया जाय, या यथास्थिति, क्यों न उसे ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाय, नोटिस जारी करेगा।

(४) यदि वह व्यक्ति जिसे उपधारा (३) के अधीन नोटिस जारी किया गया हो, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर अथवा ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जिसके लिये कलेक्टर तदर्थ अनुमति दे, कारण न बताये अथवा यदि बताया गया कारण अपर्याप्त पाया जाय, तो कलेक्टर यह निदेश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाय और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा करा सकता है जो आवश्यक हो और यह भी निदेश दे सकता है कि, यथास्थिति, सम्पत्ति की क्षति या दुर्विनियोजन के लिये अथवा दोषपूर्ण अध्यासन के लिये प्रतिकर की धनराशि ऐसे व्यक्ति से मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जाय।

(४-क) यदि कलेक्टर की यह राय हो कि कारण बताने वाला व्यक्ति उपधारा (३) के अधीन नोटिस में अभिदिष्ट क्षति पहुंचाने अथवा दुर्विनियोजन करने का दोषी नहीं है या यथास्थिति, अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में ऐसी भूमि का अध्यासी नहीं है तो वह नोटिस को प्रभावोन्मुक्त कर देगा।

(४-ख) यदि इस धारा के अधीन कार्यवाहियों में जांच के दौरान उपधारा (१) में अभिदिष्ट भूमि के अध्यासी व्यक्ति ने ऐसी भूमि के हक के सम्बन्ध में कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे कलेक्टर को स्वत्व सम्बन्धी कोई सद्भाविक प्रश्न उठना प्रतीत होता है, तो कलेक्टर आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे आदेश के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर किसी सक्षम न्यायालय में धारा २२९-ख के अधीन अपने हक के सम्बन्ध में घोषणात्मक वाद दायर करे, और इस बीच में अग्रतर कार्यवाहियां रोक देगा।

(४-ग) उपधारा (४-ख) में अभिदिष्ट वाद, यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ में किसी बात के होते हुये भी दायर किया जा सकेगा।

(४-घ) जहां उपधारा (४-ख) में अभिदिष्ट व्यक्ति उक्त अवधि के भीतर ऐसा वाद दायर नहीं करता है अथवा जहां वाद दायर किये जाने पर खारिज कर दिया जाता है, वहां कलेक्टर यह निदेश देगा कि ऐसा व्यक्ति बेदखल कर दिया जाय और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो और जहां ऐसा व्यक्ति पूर्णत : या अंशत : ऐसे वाद में सफल हो जाता है वहां कलेक्टर तदनुसार या तो इस धारा के अधीन अग्रतर कार्यवाहियां छोड़ देगा या करेगा।

(४-ङ) इस धारा के अधीन कलेक्टर का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी।"

धारा १२४-का संशोधन

७--मूल अधिनियम की धारा १२४ में, उपधारा (१), में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :--

"प्रतिबन्ध यह है कि धारा १२२-ख के अधीन वसूल की जाने योग्य क्षति पूर्ति या प्रतिकर की धनराशि संचित गांव कोष में जमा की जायगी।"

धारा १२५-क का संशोधन

८--मूल अधिनियम की धारा १२५-क में --

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् --

"(१) प्रत्येक जिले के लिये एक संचित गांव कोष संघटित किया जायेगा जिसमें --

(क) धारा १२४ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अभिदिष्ट क्षतिपूर्ति या प्रतिकर की धनराशि और

(ख) उपधारा (२) के अधीन देय सभी अंशदान, जमा किये जायंगे।"

(२) उपधारा (२) में शब्द "पन्द्रह प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पच्चीस प्रतिशत" रख दिये जायं।

धारा १३१ का संशोधन

९--मूल अधिनियम की धारा १३१ में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् --

"(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा १९५ या धारा १९६ के अधीन या उसके अनुसार कोई भूमि सीरदार के रूप में उठा दी गयी हो, और"

धारा १३४ का संशोधन

१०--मूल अधिनियम की धारा १३४ में --

(I) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् --

"१३४ (१)--यदि कोई सीरदार, जो धारा १३१ के खंड (ख) में अभिदिष्ट सीरदार न हो, उस भूमि के लिये जिसका वह सीरदार हो, प्रार्थना-पत्र के दिनांक पर देय मालगुजारी का अथवा देय समझी जाने वाली मालगुजारी का बीस गुना राज्य सरकार के नाम में जमा करता है तो वह उसके लिये असिस्टेन्ट कलेक्टर के समक्ष यथोचित रूप से प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उस दिनांक से जब धनराशि जमा की जाय इस बात के प्रख्यापन का अधिकारी हो जायेगा कि उसने उस भूमि के सम्बन्ध में धारा १३७ में उल्लिखित अधिकार प्राप्त कर लिये हैं।

स्पष्टीकरण १--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये पद "भूमि" के अन्तर्गत भूमि में अंश भी है।

स्पष्टीकरण २--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये देय मालगुजारी निम्नलिखित होगी :

(क) धारा २४६ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अभिदिष्ट भूमि के सम्बन्ध में सभी वृद्धियों को कार्यान्वित करने के पश्चात् उपलब्ध धनराशि ; और

(ख) उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर धारा २४७ का प्रतिबन्धात्मक खण्ड लागू होता हो उस धारा के अधीन मौरूसी दरों पर अवधारित धनराशि।"

(ii) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् —

"(३) धारा १३१ के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट किसी सीरदार द्वारा, भूमिधरी अधिकार अर्जित करने के लिये उपधारा (१) के अधीन दिये गये समस्त प्रार्थना-पत्र, जो उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७५ के प्रारम्भ होने के दिनांक (जिसे आगे इस धारा में उक्त दिनांक कहा गया है) के ठीक पूर्व विचाराधीन हों, उपशमित हो जायेंगे, और जमा की गई धनराशि यथास्थिति, सीरदार या उसके उत्तराधिकारी को वापस कर कर दी जायगी।

स्पष्टीकरण—उपधारा (३) के प्रयोजनार्थ, कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन समझा जायगा, यदि उक्त दिनांक को, धारा १३७ की उपधारा (१) में अभिदिष्ट प्रमाण-पत्र वास्तव में जारी न किया गया हो।"

११—मूल अधिनियम की धारा १३८ में — **धारा १३८ का संशोधन**

(क) उपधारा (१) में, शब्द "भूमिधर खाते में अपने अंश के बंटवारे के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है" के स्थान पर शब्द तथा अंक "भूमिधर खाते में अपने अंश के बंटवारे के लिये धारा १७८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, वाद प्रस्तुत कर सकता है" रख दिये जायं।

(ख) उपधारा (२) में, शब्द "उसे न्याय शुल्क देने पर" के स्थान पर शब्द "भूमिधर धारा १७८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, और न्याय शुल्क देने पर" रख दिये जायं।

१२—मूल अधिनियम की धारा १३९ निकाल दी जाय। **धारा १३९ का निकाला जाना।**

१३—मूल अधिनियम की धारा १४५ में, शब्द 'कलेक्टर' के स्थान पर शब्द 'परगने के अधिकारी असिस्टेन्ट कलेक्टर' रख दिये जायं। **धारा १४५ का संशोधन**

१४—मूल अधिनियम की धारा १५६ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात् — **धारा १५६ का संशोधन**

"**स्पष्टीकरण**—जहां किसी खातेदार ने किसी ऐसी व्यवस्था के अधीन अपने सम्पूर्ण खाते या उसके भाग से अपना कब्जा संक्रमित कर दिया हो जिसके द्वारा खातेदार किसी धनराशि या ऐसे खाते या उसके भाग में उगाये गये उत्पाद के किसी अंश का हकदार हो जाय तो यह समझा जायगा कि संक्रमणकर्ता ने ऐसा खाता या उसका भाग संक्रमिती को पट्टे पर दे दिया है।"

१५—मूल अधिनियम की धारा १५७ में — **धारा १५७ का संशोधन**

(i) उपधारा (१) में, खण्ड (ङ) में, शब्द "स्वीकृत संस्था (recognised institution) के स्थान पर शब्द "स्वीकृत शिक्षा संस्था" रख दिये जायं, और स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय;

(ii) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(१-क) जहां उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, १९७३ की धारा २ के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित कोई बैंक उक्त अधिनियम

के अधीन कार्यवाहियों द्वारा कोई भूमि अर्जित करे तो वह ऐसी सम्पूर्ण भूमि या उसके भाग को एक बार में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये पट्टे पर दे सकता है और उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् पट्टेदार का इस प्रकार पट्टे पर दी गई भूमि में कोई अधिकार, हक या स्वत्व समाप्त हो जायगा।"

धारा १५९ का संशोधन

१६—मूल अधिनियम की धारा १५९ में, शब्द तथा अंक "धारा १६७" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा १६६ तथा १६७" रख दिये जायं।

धारा १६० का संशोधन

१७—मूल अधिनियम की धारा १६० में, शब्द तथा अंक "धारा १५७" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा १५६ तथा १५७" रख दिये जायं।

धारा १६३ का संशोधन

१८—मूल अधिनियम की धारा १६३ में—

(i) उपधारा (१) में, शब्द "वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में संक्रमण हुआ हो" के स्थान पर शब्द "वह व्यक्ति जिसके पक्ष में संक्रमण किया गया हो और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसने सम्पूर्ण खाते या उसके भाग पर इस प्रकार कब्जा प्राप्त कर लिया हो," रख दिये जायं;

(ii) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय अर्थात् :—

"(३) उपधारा (१) के अधीन बेदखली की डिक्री में भूमिधर को सम्पूर्ण खाते या उसके भाग से, जैसा भी न्यायालय, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये निदेश दे, बेदखल होने का निदेश दे सकता है।"

धारा १६६ का संशोधन

१९—मूल अधिनियम की धारा १६६ में, शब्द "इस अध्याय के निदेशों के अननुकूल" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में" रख दिये जायं।

धारा १६७ का संशोधन

२०—मूल अधिनियम की धारा १६७ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(३) इस धारा के अधीन बेदखली के प्रत्येक वाद में संक्रमण-कर्ता पक्षकार बनाया जायगा।"

धारा १६९ का संशोधन

२१—मूल अधिनियम की धारा १६९ में—

(i) उपधारा (१) में, शब्द, कोष्ठक, अक्षर तथा अंक "उपधारा (२)तथा(२-क)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर "उपधारा (२-क)" रख दिये जायें;

(ii) उपधारा (२) निकाल दी जाय।

धारा १७८ का संशोधन

२२—मूल अधिनियम की धारा १७८ में, उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(३) जहां किसी सह-खातेदार ने—

(क) धारा १५७ की उपधारा (२) के अधीन किसी खाते में केवल एक अंश पट्टे पर दिया हो; या

(ख) धारा १३४ के अधीन किसी खाते के केवल एक अंश के सम्बन्ध में ही भूमिधरी अधिकार यथावत् प्राप्त किये हों,

तो न्यायालय उपर्युक्त अंश को अलग-अलग कर खाते का विभाजन कर देगा, परन्तु शेष खाते के सम्बन्ध में उपधारा (१) के उपबन्धों का, यदि लागू होते हों, अनुसरण किया जायगा"।

धारा १९४ का संशोधन

२३—मूल अधिनियम की धारा १९४ में—

(i) खन्ड (क) में शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर "खण्ड (क)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर "खण्ड (क) या खण्ड (कक)" रख दिये जायें ;

(ii) खण्ड (ख) में शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर "खण्ड (क), (ख), (ग) या (ङ)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर "खन्ड (क), खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (गग) या खण्ड (ङ)" रख दिये जायें।

धारा १९८ का संशोधन

२४—मूल अधिनियम की धारा १९८ में—

(क) उपधारा (१) में—

(i) खण्ड (क) से (झ) तक के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायें, अर्थात् :—

"(क) ऐसे व्यक्ति की, जिसने संघ की सशस्त्र सेना में सक्रिय सेवा करते हुये शत्रु-आक्रमण के कारण अपना जीवन बलिदान किया हो, मण्डल में रहने वाली भूमि-हीन विधवा, उसके भूमिहीन पुत्र, उसकी भूमिहीन अविवाहित पुत्रियां या उसके भूमिहीन माता-पिता ;

(ख) मण्डल में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेना में सेवा करते हुये शत्रु-आक्रमण के कारण पूणतया निर्योग्य हो गया हो ;

(ग) मण्डल में रहने वाला और अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का कोई भूमिहीन खेतिहर मजदूर ;

(घ) मण्डल में रहने वाला कोई अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूर ;

(ङ) कोई भूमिधर, सीरदार या असामी जो मण्डल में रहता हो और जिसके पास १.२६ हेक्टर (३.१२५ एकड़) से कम भूमि हो ;

(च) मण्डल मे रहने वाला कोई भूमिहीन व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेना में किसी अधिकारी से भिन्न सेवा से निवृत्त, निर्मुक्त या सेवामुक्त हो ;

(छ) मण्डल में रहने वाला भूमिहीन स्वतंत्रता सेनानी जिसे राजनीतिक पेंशन न दी गई हो ;

(ज) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का कोई अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जो मण्डल में न रहता हो किन्तु यू० पी० पंचायत-राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ४२ में अभिदिष्ट न्याय पंचायत सर्किल में रहता हो"।

(ii) उसके स्पष्टीकरण में खण्ड (१) में, शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर "और खण्ड (घ) के सिवाय" निकाल दिये जायं ;

(ख) उपधारा (२) निकाल दी जाय ;

(ग) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय अर्थात् :—

"(३) ऐसी भूमि का क्षेत्रफल जो उपधारा (१) के अधीन प्रदिष्ट की जाय—

(i) खण्ड (ङ) के अधीन आने वाले व्यक्ति की दशा में, प्रदेशन के ठीक पूर्व भूमिधर, सीरदार या असामी के रूप में उसके द्वारा धृत भूमि को मिलाकर १.२६ हेक्टर (३.१२५ एकड़) ;

(ii) किसी अन्य दशा में, १,२६ हेक्टर (३.१२५ एकड़), से अधिक न होगा।"

(घ) उपधारा (४) में खण्ड (१) तथा (२) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात् :—

"(१) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७५ के प्रारम्भ होने के पूर्व किये गये भूमि के प्रदेशन की दशा में, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर प्रदेशन तथा पट्टा, यदि कोई हो, निरस्त कर सकता है, और

(ii) ऐसे प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पश्चात् किये गये भूमि के प्रदेशन की दशा में, ऐसे प्रदेशन या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर प्रदेशन तथा पट्टा यदि कोई हो, निरस्त कर सकता है।";

(ङ) उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(४-क) जहां किसी भूमि का प्रदेशन या पट्टा उपधारा (४) के अधीन निरस्त कर दिया जाय, तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

(i) ऐसी भूमि में प्रदेशन ग्रहीता या पट्टेदार अथवा उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति का अधिकार, हक तथा स्वत्व समाप्त हो जायगा और भूमि गांव सभा को प्रत्यावर्तित हो जावेगी ;

(ii) कलेक्टर निदेश दे सकता है कि ऐसी भूमि पर कब्जा रखने या बनाये रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात् वह भूमि तत्काल गांव सभा के कब्जे में दे दी जाय और इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा करा सकता है जो आवश्यक हो।"।

धारा ३३१ का संशोधन

२५—मूल अधिनियम की धारा ३३१ में, उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गई समझी जाय, अर्थात् :—

"(३) इस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के स्तम्भ में उल्लिखित किसी न्यायालय द्वारा, उसके स्तम्भ ३ में उल्लिखित कार्यवाहियों में पारित किसी डिक्री या सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ की धारा ४७ के अधीन किसी आदेश या धारा १०४ या उस संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश ४३, नियम १ में उल्लिखित प्रकार के किसी आदेश के विरुद्ध अपील उसके स्तम्भ ५ में उल्लिखित किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष दायर की जा सकेगी।"

नई धारा ३३३-क का बढ़ाया जाना

२६—मूल अधिनियम की धारा ३३३ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

बोर्ड को अभिदेश

"३३३-क—कमिश्नर अथवा अपर कमिश्नर धारा ३३३ में निर्दिष्ट किसी ऐसे वाद या व्यवहार को जिस पर उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चय किया गया हो, उसमें दी गई किसी आज्ञा की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के

लिये मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है, और यदि उसकी यह राय हो कि ऐसी आज्ञा को परिवर्तित, निरस्त या उलट दिया जाना चाहिये तो वह मामले को उस पर अपनी राय सहित बोर्ड को आज्ञार्थ अभिदिष्ट करेगा, और तदुपरान्त बोर्ड उस पर ऐसी आज्ञा देगा जो वह उचित समझे।"

धारा ३४४ का संशोधन

२७—मूल अधिनियम की धारा ३४४ में, उपधारा (२), (३) तथा (४) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(२) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या दो या अधिक सत्रों में समाविष्ट कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों, अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।"

अध्याय ३

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९५७ की धारा ८६ का संशोधन

२८—उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ८६ में, उपधारा (४), (५) तथा (६) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(४) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या दो या अधिक सत्रों में समाविष्ट कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये, प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।"

अध्याय ४

कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६० का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १७, १९६० का संशोधन

२९—कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम १९६०, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, में शब्द "कुमायूं तथा उत्तराखंड डिवीजन" (उसकी धारा १ को छोड़कर) जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "कुमायूं तथा गढ़वाल डिवीजन" रख दिये जायं, और दिनांक २० दिसम्बर, १९६८ से रखे गये समझे जायं।

धारा ३ का संशोधन

३०—मूल अधिनियम की धारा ३ में, उपधारा (९) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और दिनांक २० दिसम्बर, १९६८ से रखी गई समझी जाय, अर्थात् :—

"(९) 'कुमायूं डिवीजन' से तात्पर्य है नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के जिले ;

(९-क) 'गढ़वाल डिवीजन' से तात्पर्य है गढ़वाल टेहरी-गढ़वाल, उत्तरकाशी और चमोली के जिले ; "।

धारा ५६ का संशोधन

३१—मूल अधिनियम की धारा ५६ में—

(क) उपधारा (३) में, खण्ड (६) में, शब्द तथा अंक 'इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८' के स्थान पर शब्द तथा अंक "परिसीमा अधिनियम, १९६३;' रख दिये जायं :

(ख) उपधारा (४), (५) तथा (६) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(४) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मन्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या दो या अधिक सत्रों में समाविष्ट कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक के ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे जो विधान मन्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।"

अध्याय ५

जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११, १९५६ की धारा ४३ का संशोधन

३२—जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ४३ में, उपधारा (४), (५) तथा (६) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(४) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मन्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या दो या अधिक सत्रों में समाविष्ट कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये, प्रभावी होंगे जो विधान मन्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन सम्बन्द्ध से नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।"

अध्याय ६

यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट सख्या ३, १९०१ की धारा ५ का प्रतिस्थापन

३३—यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

राज्य सरकार तथा परिषद् के नियंत्रण संबन्धी अलग-अलग अधिकार

"५—राज्य सरकार के अधीक्षण, निदेश तथा नियन्त्रण के अधीन रहते हुये परिषद् वादों, अपीलों, अभिदेशों तथा पुनरीक्षणों के निस्तारण से सम्बद्ध विषयों को छोड़कर अधिनियम के अधीन उपबन्धित अन्य बिषयों के सम्बन्ध में मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी होगा।"

धारा ८ का संशोधन

३४—मूल अधिनियम की धारा ८ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(१) जहां कोई ऐसी कार्यवाही, जो अपील या अभिदेश या पुनरीक्षण में परिषद् द्वारा विचार किये जाने के लिये आये, दो या अधिक सदस्यों से संगठित किसी डिवीजन बेंच द्वारा सुनी जाय तो वह वाद ऐसे सदस्यों की राय अथवा उनमें से अधिकांश की राय, यदि कोई हो, के अनुसार निर्णीत किया जायेगा।"

धारा ३३ का संशोधन

३५—मूल अधिनियम की धारा ३३ में, उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(२) कलेक्टर वार्षिक रजिस्टर में—

(क) धारा ३५ के उपबन्धों के अनुसार समस्त उत्तराधिकार तथा संक्रमण, या

(ख) अन्य परिवर्तन, जो किसी भूमि के सम्बन्ध में हों,

अभिलिखित करायेगा और समस्त अशुद्धियों तथा लोपों को धारा ३९ के उपबन्धों के अनुसार शुद्ध भी करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि खन्ड (ख) के अधीन परिवर्तन अभिलिखित करने के अधिकार की यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि उसके अन्तर्गत किसी ऐसे विवाद को निर्णीत करने का अधिकार भी है जिसमें हक सम्बन्धी कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो।"

धारा ३३-क का संशोधन

३६—मूल अधिनियम की धारा ३३-क को पुन: संख्यांकित करके उसको उपधारा (१) कर दी जाय और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(२) किसी व्यक्ति के जो उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० ई० की धारा १९५ या १९६ के अधीन किसी भूमि का सीरदार या उक्त अधिनियम की धारा १९७ के अधीन असामी हो गया है, सम्बन्ध में उपधारा (१) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।"

धारा ३४ का संशोधन

३७—मूल अधिनियम की धारा ३४ में—

(क) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(१) उत्तराधिकार या संक्रमण (ऐसे उत्तराधिकार या संक्रमण से भिन्न जिसे धारा ३३-क के अधीन पहले ही अभिलिखित कर लिया

गया है) द्वारा किसी भूमि पर कब्जा पाने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे उत्तराधिकार या संक्रमण की सूचना उस तहसील के तहसीलदार को देगा जिसमें भूमि स्थित है।" ;

(ख) उपधारा (२) निकाल दी जाय ;

(ग) उसके स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाय, अर्थात् : ——

"स्पष्टीकरण——इस धारा के प्रयोजनार्थ, शब्द 'संक्रमण' के अन्तर्गत निम्नलिखित है, अर्थात् : ——

(i) ऐसा कौटुम्बिक व्यवस्थापन जिसके द्वारा उस कुटुम्ब के किसी एक या एक से अधिक सदस्यों के नाम में अधिकार अभिलेख में अभिलिखित जोत या जोत के भाग को किसी दूसरे या अन्य सदस्यों का होना प्रख्यापित किया जाय ; या

(ii) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० ई० की धारा १६१ के अधीन जोत या उसके भाग का विनिमय प्रख्यापित किया जाय ।"

धारा ३५ का प्रतिस्थापन

३८——मूल अधिनियम की धारा ३५ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् : ——

रिपोर्ट पर प्रक्रिया

"३५——धारा ३४ के अधीन उत्तराधिकार या संक्रमण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, या अन्यथा तथ्यों की जानकारी होने पर, तहसीलदार ऐसी जांच करेगा जो आवश्यक प्रतीत हो, और यदि यह प्रतीत हो कि उत्तराधिकार या संक्रमण हुआ है तो वह वार्षिक रजिस्टरों को तदनुसार संशोधित करने का निदेश देगा ।"

धारा ३९ का संशोधन

३९——मूल अधिनियम की धारा ३९ में, उपधारा (२) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :——

"प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह कलेक्टर को कोई ऐसे विवाद, जिसमें हक सम्बन्धी प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, निर्णीत करने की शक्ति प्रदान करती है।"

धारा १९१ का प्रतिस्थापन

४०——मूल अधिनियम की धारा १९१ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् : ——

वाद संक्रमित करने का परिषद् या आयुक्त का अधिकार

"१९१——परिषद् या आयुक्त इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी वाद या कार्यवाही को जिसके अन्तर्गत विभाजन सम्बन्धी वाद भी है, किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी से किसी अन्य ऐसे न्यायालय या अधिकारी को जो उन पर कार्यवाही करने के लिये सक्षम हो, संक्रमित कर सकता है।"

धारा २१० का संशोधन

४१——मूल अधिनियम की धारा २१० में, उपधारा (६) में, अंक "३५" निकाल दिया जाय।

४२—मूल अधिनियम की धारा २१८ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

धारा २१८ का प्रतिस्थापन

"२१८—आयुक्त, अवर आयुक्त, कलेक्टर, अभिलेख अधिकारी या बन्दोवस्त अधिकारी दिये गये आदेश की वैधता अथवा औचित्य के सम्बन्ध में तथा कार्यवाहियों की नियमितता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा निर्णीत किसी मामले या की गयी कार्यवाहियों के अभिलेख को मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है और, यदि उसकी यह राय हो कि ऐसे अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही या दिये गये आदेश को परिवर्तित, निरस्त या उलट दिया जाना चाहिये तो वह उस मामले को अपनी राय सहित आदेशार्थ परिषद् को अभिदिष्ट करेगा और तदुपरांत परिषद् उस पर ऐसा आदेश देगी जो वह उचित समझे ।"

परिषद् को अभिदेश

४३—मूल अधिनियम की धारा २१९ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

धारा २१९ का प्रतिस्थापन

"२१९—परिषद् किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी मामले के अभिलेख को मंगा सकती है, और यदि यह प्रतीत हो कि —

परिषद् के समक्ष पुनरीक्षण

(क) अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या

(ख) अधीनस्थ न्यायालय इस प्रकार निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में असफल रहा है, या

(ग) अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सारवान अनियमितता के साथ कार्य किया है, तो परिषद् ऐसा आदेश दे सकती है, जो वह उचित समझे।"

४४—मूल अधिनियम की धारा २२७ में —

धारा २२७ का संशोधन

(क) खण्ड (२) के पूर्व निम्नलिखित खन्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् : —

"(१) द्वितीय वर्ग के सहायक कलेक्टर या तहसीलदार की समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करना,";

(ख) खण्ड (५) निकाल दिया जाय।

४५—मूल अधिनियम की धारा २३४ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् : —

धारा २३४ का प्रतिस्थापन

"२३४—(१) परिषद् राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में, इस अधिनियम से संगत नियम बना सकती है, अर्थात् :—

परिषद् की नियम बनाने की शक्ति

(क) तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों के कर्त्तव्यों को नियत करना और उनके तैनाती तथा स्थानान्तरण और अस्थायी रिक्तियों में उनकी नियुक्ति को विनियमित करना ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाये या रखे गये अधिकार-अभिलेखों तथा अन्य अभिलेखों, नक्शों, खसरों, रजिस्टरों

तथा सूचियों के प्रपत्र, उनकी अन्तर्वस्तुयें उन्हें तैयार करने, अनुप्रमाणित करने तथा अनुरक्षित करने की रीति नियत करना तथा उस भूमि के, यदि कोई हो, प्रकार को नियत करना जिसके सम्बन्ध में धारा ३२ के अधीन ऐसा अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता न हो ;

(ग) उत्तराधिकारों तथा संक्रमणों को अधिसूचित न करने पर धारा ३८ के अधीन जुर्माने का आरोपण विनियमित करना ;

(घ) उन खर्चों को विनियमित करना जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में या उसके सम्बन्ध में वसूल किये जा सकते हों ;

(ङ) किसी ऐसे अधिकारी (या अन्य व्यक्ति) द्वारा, जिससे इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाय या जो ऐसा करने के लिये अधिकृत हो, अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करना;

(च) इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में सभी व्यक्तियों के पथप्रदर्शन के लिये और ऐसे वाद या कार्यवाही के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाना ;

(छ) राजस्व न्यायालय में याचिका लेखकों के रूप में कार्य करने के लिये व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करने, ऐसे व्यक्तियों के कार्य संचालन तथा उनके द्वारा लिये जाने वाले शुल्कों के मान को विनियमित करना, तथा लाइसेंस की ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों का उल्लंघन करने के लिये लाइसेंस को रद्द करना ।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, इस धारा के अधीन राज्य सरकार या परिषद् द्वारा बनाये गये समस्त नियम, जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७५ के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्व विद्यमान थे और ऐसे दिनांक को प्रवृत्त थे, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि वे किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त, संशोधित या परिवर्तित न कर दिये जायं।"

संक्रमणकालीन उपबन्ध

४६—ऐसे सभी मामले जो मूल अधिनियम की धारा २१८ के अधीन जैसी कि वह उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७५ के प्रारंभ होने के दिनांक के ठीक पूर्व विद्यमान थी, राज्य सरकार को अभिदिष्ट किये गये हों तथा ऐसे सभी पुनरीक्षण जो धारा २१९ के अधीन, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७५ के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्व विद्यमान थी, राज्य सरकार के समक्ष दाखिल किये गये हों, और उक्त दिनांक को राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन हों, किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी परिषद् को संक्रमित हो जायेंगे और परिषद् द्वारा निर्णीत किये जायेंगे तथा परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा ।

अध्याय ७

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा ५४ का संशोधन

४७—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा ५४ में—

(i) उपधारा (१) में शब्द "नियम बना सकती है" के स्थान पर शब्द "गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियम बना सकती है" रख दिये जायं ;

(ii) उपधारा (३), (४) तथा (५) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(३) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मन्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या दो या अधिक सत्रों में समाविष्ट कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये, प्रभावी होंगे, जो विधान मन्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।"

अध्याय ८

निरसन

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २०, १९७५ का निरसन

४८—(१) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७५ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

ऐसे मामलों की संख्या जिनमें गांव सभा आवश्यक पक्ष है, बहुत बढ़ गई है और ऐसी मुकदमेंबाजी के सम्बन्ध में बढ़े हुये व्यय को पूरा करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० ई० का संशोधन करना आवश्यक समझा गया है, जिससे कि गांव सभा की सम्पत्ति को हुई क्षति के लिये शास्ति के रूप में वसूल की गई धनराशि सीधे जिला संचित गांव कोष में जमा की जा सके और उक्त कोष में गांव सभाओं के अंशदान को भी १५ प्रतिशत से बढ़ा कर २५ प्रतिशत किया जा सके।

२—विशारद कमेटी ने यह संस्तुति की है कि गांव सभा की भूमि के अनधिकृत कब्जे की समस्या को हल करने के लिये सख्त कदम उठाये जायें। उक्त संस्तुति के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा १२२-ख को संशोधित किया जा रहा है।

३—यह भी देखा गया है कि कभी-कभी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के भूमिहीन कृषक मजदूर जिन्हें गांव सभा की भूमि के प्रदेशन में उच्च प्राथमिकता दी जाती है, भूमिधरी अधिकार प्राप्त कर लेने पर अपनी भूमि बेंच देने के पश्चात् पुनः भूमिहीन हो जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि ऐसे प्रदेशन गृहीताओं को गांव सभा की प्रदिष्ट भूमि के सम्बन्ध में भूमिधरी अधिकार प्राप्त न हों, ऐसे प्रदेशन गृहीताओं पर निबन्धन आरोपित करने का निश्चय किया गया है।

४—राज्य सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि कभी-कभी खातेदार अपनी भूमि को उक्त अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में विभिन्न व्यक्तियों को पट्टे पर उठा देते हैं और ऐसे संव्यवहार को छिपाने की दृष्टि से वे बनावटी विलेख जैसे कि मुख्तारनामा, साझेदारी आदि निष्पादित करते हैं। इस त्रुटि को उपर्युक्त अधिनियम की धारा १५६ को संशोधित करके दूर किया जा रहा है।

५—महिला भूमिधर जो भूमि पुरुष भूमिधरों से विरासत में प्राप्त करती हैं, अब तक वसीयतनामें द्वारा अपनी भूमि का अन्तरण नहीं कर सकती थीं। अब ऐसे भूमिधरों को भी, अपनी जोत को वसीयत करने की अनुज्ञा प्रदान कर दी गई है।

६—३ १/८ एकड़ से कम क्षेत्रफल वाली जोतों के विभाजन पर और नियन्त्रण लगाने के लिये उक्त अधिनियम की धारा १७८ के उपबन्धों को संशोधित किया जा रहा है।

७—गांव सभा की भूमि के प्रदेशन के लिये उक्त अधिनियम की धारा १९८ (१) में निर्धारित प्राथमिकता क्रम को यह सुनिश्चित करने के लिये फिर से निर्धारित किया जा रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के भूमिहीन कृषक मजदूरों को भूमि के प्रदेशन में सर्व प्राथमिकता प्राप्त हो सके। गांव सभा की भूमि के सम्बन्ध में अवैध पट्टों के सम्बन्ध में चाहे वे कितने ही पुराने क्यों न हों, संवीक्षा करने की और यदि आवश्यक हो तो उनका पुनर्विलोकन करने की शक्ति भी प्रदान की जा रही है।

८—राज्य सरकार ने यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा ११ के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके उत्तराखन्ड मण्डल के स्थान पर गढ़वाल मन्डल की स्थापना किया था। दोनों मन्डलों की सीमाओं में भी परिवर्तन किये गये थे। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६० में भी कतिपय आनुषंगिक संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

९—यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा २१८ तथा धारा २१९ के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार न्यायिकेतर मामलों के पुनरीक्षण के आवेदन-पत्र राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाते हैं। यह व्यवस्था की जा रही है कि एतद्पश्चात् उपर्युक्त ऐक्ट के अधीन सभी

पुनरीक्षण के आवेदन-पत्र केवल राजस्व परिषद् को ही प्रस्तुत किये जायेंगे और राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन ऐसे समस्त पुनरीक्षण के आवेदन-पत्र परिषद् को अन्तरित हो जायेंगे। विशारद कमेटी और पाटिल कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा ३३, ३३-ए, ३४ और ३९ में भी संशोधन किया जा रहा है।

१०—नियमों के प्रारूप के पूर्व प्रकाशन को जैसा कि कुछ अधिनियमों द्वारा अपेक्षित है, भी समाप्त किया जा रहा है।

११—इस अवसर का लाभ ऊपर निर्दिष्ट कुछ अधिनियमितियों में कतिपय अन्य छोटे-मोटे संशोधन करने के लिये भी उठाया जा रहा है।

१२—तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

स्वामी प्रसाद सिंह,
राजस्व मन्त्री।

विधान भवन

पी०एस०यू०पी०—एल० १९४ वि० सभा (६३५)—१९७५—८४५।